विद्यार्थियों में विधिक जागरूकता

कानूनी अधिकार एवं जानकारियां

RSLSA#Sports4Awareness

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens:

JUSTICE
social, economic and political;

LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY
of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	RSLSA#Sports4Awareness	1
	बालकों के कानूनी अधिकार	4
	शिक्षा का अधिकार	7
	बाल विवाह – कानूनी अपराध	11
	बाल श्रम व बाल तस्करी	16
	बेटी बचाओ	20
	नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य	25
	नकल – एक अपराध	32
	किशोर विषयक कानून	33
	वृद्धजन या वृष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं भरण–पोषण	34
	पर्यावरण संरक्षण	35
	प्लास्टिक सुविधा कम – दुविधा ज्यादा	40
	विधिक सेवा – उभरते आयाम	42
	साइबर अपराध	47
	रैगिंग विरोधी कानून	48
	नशाखोरीः समस्या एवं समाधान	53
	भ्रष्टाचार निरोधक कानून	57
	महिलाओं के अधिकार	61
	उपभोक्ता संरक्षण	70
	चेक डिसऑनर होने पर क्या करें ?	71
	विद्युत चोरी की रोकथाम	72
	हमारे अधिकार – पुलिस के साथ	73
	जन्म–मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून	75
	क्या आप जानते हैं	75
	मोटर वाहन से दुर्घटना होने पर क्या करें ?	76
	सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण कानून	77
	धूम्रपान निषेध	78
	कानून की जानकारी के अभाव में	79

RSLSA#Sports4Awareness

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छात्र–छात्राओं के मध्य विधिक सेवाओं एवं विधिक प्रावधानों की जानकारी एवं जागरूकता उत्पन्न कर भविष्य में आदर्श नागरिक बनाने के उद्देश्य से अगस्त से नवम्बर के माह में विधिक जागरूकता खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस RSLSA#Sports4Awareness खेलकूद प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर पर कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगी, जिसमें सभी विद्यालय राजकीय व निजी विद्यालय की छात्र–छात्राएँ और विद्यालय की विभिन्न टीमें भाग ले सकती है। इन प्रतियोगिताओं में स्काउट गाईड की टीमें भी भाग ले सकती है। RSLSA#Sports4Awareness का आयोजन कार्यक्रम निम्न अनुसार है:–

क्र.सं.	चरण	तिथि
1	इन्टर स्कूल (ब्लॉक)	01.08.2019 से 15.08.2019 के मध्य
2.	जिला स्तर	01.09.2019 से 10.09.2019 के मध्य
3.	संभाग स्तर	22.09.2019 से 05.10.2019 के मध्य
4.	राज्य स्तर	02.11.2019 से 04.11.2019 के मध्य

प्रतियोगिताओं के प्रकार

1. कबड्डी
2. खो–खो
3. फुटबॉल
4. वॉलीबॉल
5. बास्केट बॉल
6. टेबल टेनिस
7. बैडमिंटन
8. 100 मीटर दौड़
9. 200 मीटर दौड़
10. 400 मीटर दौड़
11. ऊंची कूद
12. लम्बी कूद
13. शतरंज
14. कैरम
15. पोस्टर–पेंटिंग
16. निबन्ध
17. भाषण प्रतियोगिता

क्रमांक 01 से 14 वर्णित प्रतियोगिताओं का बालक एवं बालिका हेतु पृथक–पृथक आयोजित की जावेगी।

प्रतियोगिता की विषय वस्तु

इस प्रतियोगिता में निम्न विषय सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है:–

1. श्रमिकों के अधिकार

2. बाल विवाह
3. बाल श्रम व बाल तस्करी
4. नकल विरोध कानून
5. नागरिकों के मूल कर्तव्य
6. रैगिंग विरोधी कानून
7. भ्रष्टाचार
8. लोक अदालत एवं निःशुल्क विधिक सहायता
9. नशाखोरी – समस्या एवं समाधान
10. पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011

प्रतियोगिता के विभिन्न स्तर

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>खेल का नाम</th><th colspan="2">वर्ग</th><th>प्रतियोगिता का अन्तिम स्तर</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कबड्डी</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td><td rowspan="12">प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग हेतु सभी स्तर पर पृथक–पृथक आयोजित की जावेगी व वर्गवार क्रमशः तालुका, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। तालुका स्तर पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, इसी प्रकार जिला/संभाग पर प्रथम आने वाली टीम/प्रतिभागी क्रमशः संभाग/राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>खो–खो</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>3</td><td>फुटबॉल</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वॉलीबॉल</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बास्केट बॉल</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>6</td><td>टेबल टेनिस (व्यक्तिगत स्पर्धा)</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>7</td><td>बैडमिंटन (व्यक्तिगत स्पर्धा)</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>8</td><td>100 मीटर दौड़</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>9</td><td>200 मीटर दौड़</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>10</td><td>400 मीटर दौड़</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>11</td><td>ऊंची कूद</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
<tr><td>12</td><td>लम्बी कूद</td><td>बालक</td><td>बालिका</td><td>राज्य स्तर</td></tr>
</table>

13	शतरंज (व्यक्तिगत स्पर्धा)	बालक	बालिका	संभाग स्तर	उक्त प्रतियोगिताओं का अंतिम चरण संभाग स्तर होगा। संभाग स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को संभाग स्तर पर ही पुरस्कृत किया जावेगा। उक्त प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित नहीं की जावेगी।
14	कैरम (व्यक्तिगत स्पर्धा)	बालक	बालिका	संभाग स्तर	
15	पोस्टर–पेंटिंग			राज्य स्तर	उक्त प्रतियोगिताओं का अन्तिम चरण राज्य स्तर होगा प्रतियोगिताओं की प्रविष्ठियां केवल एक ही बार अर्थात प्रथम चरण में आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता में ली जायेगी। अगले चरण की प्रतियोगिता में इन्ही प्रविष्ठियों को सम्मिलित किया जायेगा। अर्थात् ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त प्रविष्ठि जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु भेजी जावेगी व जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रविष्ठि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता हेतु भेजी जावेगी व संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रविष्ठि राज्य स्तर पर भेजी जावेगी।
16	निबन्ध			राज्य स्तर	
17	भाषण प्रतियोगिता			राज्य स्तर	उक्त प्रतियोगिता का अंतिम चरण राज्य स्तर होगा। संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों की प्रविष्ठियाँ इस कार्यालय को संभाग द्वारा प्रेषित की जावेगी, जिनके आधार पर ही राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों का चयन किया जावेगा। प्रतिभागियों की व्यक्तिशः भागीदारी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नहीं होगी। भाषण प्रतियोगिता में संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी व सातों संभाग से प्राप्त प्रविष्ठियों के आधार पर पूर्व निर्धारित निर्णायक मंडल द्वारा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता का चयन किया जावेगा।
18	विधिक साक्षरता सदस्य				

बालकों के कानूनी अधिकार

बालक देश का भविष्य है। वही देश का भाग्य–निर्माता है। देश का समग्र विकास बालकों पर निर्भर है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा आज का बालक होगा वैसा ही कल का भारत होगा। अतः बालकों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संस्कारित होना आवश्यक है। यही कारण है कि बालकों के सर्वांगींण विकास के लिये भारत के संविधान और कानूनों में उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं और उनके हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। यहां कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों का उल्लेख किया जा रहा है।

1. जीवन जीने का अधिकार

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें बालक भी सम्मिलित है, जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं उसे सम्मानजनक एवं मानव गरिमा युक्त जीवन जीने का अधिकार है। बालक को इस अधिकार से अवैध रूप से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बालक की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करें।

2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

छः वर्ष से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 में प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की राज्य द्वारा गारण्टी दी गई है। अभिभावकों का भी यह कर्त्तव्य है कि वे अपने बालकों को शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश करेंगे।

3. दण्ड से मुक्ति का अधिकार

छोटे बालकों अर्थात् शिशुओं को आपराधिक मामलों में दण्डित नहीं किया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 में यह कहा गया है कि सात वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य अपराध नहीं है और उसे ऐसे कार्य के लिए दण्डित नहीं किया जा सकता है। 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बालक अथवा शिशु को केवल तभी दण्डित किया जा सकता है जब उसे अपने द्वारा किये गये कार्य की प्रकृति का ज्ञान हो।

4. शोषण के विरूद्ध अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में यह कहा गया है कि किसी भी बालक का न तो शोषण किया जायेगा और न ही उससे बेगार ली जा सकती है। उनका अनैतिक व्यापार अर्थात यौन शोषण भी नहीं किया जा सकता। अब बालकों को बन्धुआ मजदूर भी नहीं बनाया जा सकता है।

5. कारखानों में नियोजन से सुरक्षा

कारखाना अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 24 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों व अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकेगा। इसका स्पष्ट अभिप्राय यह हुआ कि बालकों से कठोर श्रम नहीं लिया जाए ताकि उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हो सके।

6. भरण–पोषण का अधिकार :

प्रत्येक बालक को अपने माता–पिता से भरण–पोषण का अधिकार उपलब्ध है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में यह कहा गया है कि प्रत्येक माता–पिता का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने बालकों का भरण–पोषण करे। जब तक बालक आजीविका कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक माता–पिता उसकी परवरिश करने के उत्तरदायी हैं। यदि कोई विकलांग है, मंद बुद्धि है अथवा बालिका अविवाहत है, तब भी माता–पिता का दायित्व है कि वह उसका भरण–पोषण करें।

7. बालक के कल्याण का सर्वोपरि माने जाने का अधिकर :

हिन्दू विधि एवं अन्य सभी विधियों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अब भी बालक को किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जाना हो तब उसके कल्याण को सर्वोपरि महत्व दिया जायेगा अर्थात् जहाँ बालक का कल्याण सुरक्षित हो वहीं बालक को अभिरक्षा में सौंपा जायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि बालक को केवल पिता की अभिरक्षा में ही सौंपा जाये। यदि माता अथवा अन्य कोई नातेदार उसकी अच्छी परवरिश कर सकता है तो उसे उनकी अभिरक्षा में दिया जा सकता है।

8. बाल विवाह से बचने का अधिकार :

बाल विवाह निषेध कानून, 2006 बाल विवाह पर रोक लगाता है। जब तक बालक की आयु 21 वर्ष और बालिका की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती तब तक उसका विवाह नहीं किया जा सकता। यह कानून इसलिए बनाया गया है कि ताकि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके।

9. किशोर न्याय का अधिकार :

कई बार बालक अपराध कर बैठते है, लेकिन बालकों को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। बालकों के लिये एक विशेष कानून किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत बालकों को अपराधी नहीं कह कर विधि विरुद्ध किशोर की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः ऐसे बालकों को कारावास का दण्ड नहीं दिया जाता है और उन्हें सुधार गृहों में

भेज दिया जाता है। ऐसे बालकों को न हथकड़ी लगाई जाती है और न जेल में बंद रखा जाता है। बालकों मे ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है।

10. सम्पत्ति में अधिकर :

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक बालक को अपनी पैतृक सम्पत्ति में जन्मतः अधिकार प्रदान किया गया है। वह पैतृक सम्पत्ति में विधिनुसार हिस्सा पाने का हकदार है। वह भरण–पोषण, शिक्षा–दीक्षा आदि के खर्चे पाने का हकदार है।

11. रैगिंग में सुरक्षा का अधिकार :

इन दिनों विद्यालयों और महाविद्यालयों में रैगिंग का प्रचलन बढ़ रहा है। रैगिंग से अभिप्राय विद्यालयों में प्रवेश के समय कुछ पुराने विद्यार्थियों द्वारा नये विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक यातना देने से है। कई बार यह सुनने में आता है कि प्रवेश के समय नये विद्यार्थियों को मुर्गा बनाया जाता है तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इससे परेशान होकर अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और कभी–कभी आत्महत्या भी कर लेते है। अतः सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा रैगिंग पर रोक लगा दी गई है और इसके लिये दण्ड का प्रावधान भी किया गया है।

12. दत्तक का अधिकार :

बालक को दत्तक में लेने की प्रथा विद्यमान है। कोई भी निःसंतान व्यक्ति ऐसे बालक को दत्तक ले सकता है जो हिन्दू है, जो पहले से दत्तक में नहीं गया है, जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जो अविवाहित है। लेकिन जहाँ प्रथा हो वहाँ 15 वर्ष से अधिक आयु के बालक को और विवाहित व्यक्ति को भी दत्तक में लिया जा सकता है। जब कोई बालक दत्तक ले लिया जाता है तब उसे दत्तक परिवार में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् उसे वे सभी अधिकार मिल जाते हैं जो एक प्राकृतिक पुत्र अथवा पुत्री को मिले होते हैं।

13. संवैधानिक संरक्षण :

हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। जाति, धर्म, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 15 में बालकों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य बालकों के कल्याण के लिए एक विशेष कानून बना सकेगा।

इस प्रकार विधान और संविधान में बालकों को अनेक कानूनी अधिकार प्रदान किये गये हैं। बालक अपने इन अधिकारों को जानें, इनका उपयोग करें तथा स्वयं को बेहतर नागरिक बनाने का प्रयास करें।

शिक्षा का अधिकार

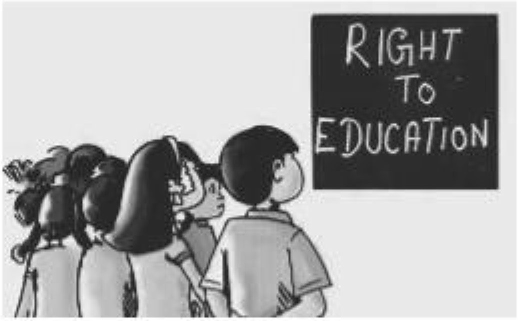

संकेत बिन्दु:–

1. प्रस्तावना
2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक स्थिति
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई. एक्ट)
4. शिक्षा के अधिकार की स्थापना तथा कार्यप्रणाली
5. शिक्षा के अधिकार के प्रभाव
6. शिक्षा के अधिकार की कमियां
7. सरकार द्वारा मापदण्ड तथा जनसहयोग
8. उपसंहार

1. प्रस्तावना

लोकमान्य तिलक ने अपने शब्दों में कहा है कि–

"शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा हम इसे पाकर रहेगें।"

"विद्या ददाति विनियम् विनयादायाति पात्रताम्

पात्रत्वामाप्नेति धनं धनाद्धर्म, ततः हि सुखम्।।"

शिक्षा मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। आज के युग में हर वर्ग, हर संभव क्षेत्र में शिक्षा अपने पैर पसार रही है परन्तु एक प्रश्न चिन्ह् इस उत्थान पर अवश्य पड़ता है कि क्या हर बालक को उच्च शिक्षा मिल पा रही है या नहीं? शिक्षा के अधिकार को असीमित महत्त्व देने का कारण शिक्षा का व्यक्तित्व–विकास तथा आत्मविश्वास में अद्वितीय योगदान है। शिक्षा मानव की परम हितैशी है। शिक्षा ही मानव विकास का मापदण्ड है। शिक्षा का अधिकार तथा उपयोग हर भारतीय को उत्थान की सोपान तक पहुँचाने में सहायक है। शिक्षा के अधिकार का प्रचार प्रसार करने के लिए जनसहयोग की आवश्यकता है।

"रंग से चित्रकार तस्वीर बदल सकता है,

साहस से मनुज सिकन्दर बन सकता है।

शिक्षा वह अनमोल रत्न है जिससे,

मनुष्य अपनी तकदीर बदल सकता है।।"

2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक स्थिति–

दुर्भाग्य से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त तथा समयानुकूल नहीं है। शहर में रहने वाले मुट्ठी भर समर्थ लोग ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने में समर्थ है। प्रतिवर्ष विभिन्न कारणों से हमारे देश के 40 प्रतिशत बच्चे अशिक्षित रह जाते हैं। शहर तथा गांवों में रहने वाले कुछ लोग ही अपने बच्चों को कॉनवेन्ट तथा निजी विद्यालयों दाखिला दिलाने में समर्थ हैं। परन्तु हमारे देश का मुख्य भाग अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा मूल्यहीन प्रतीत होती है। पुरातनकाल में ऋषियों ने शिक्षा की महिमा का गुणगान करते हुए कहा था कि–

''माता शत्रु पिता बेरी येन बालकों न पठित:

येन हंसमध्ये सभामध्ये वको यथा''।।

उपर्युक्त श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार अशिक्षित व्यक्ति शिक्षितों के मध्य शोभा नहीं देता है, उसी प्रकार हंसों की सभा के मध्य बगुला भी अशोभित है। शिक्षा ही मानव–विकास को सभ्यता से जोड़े रखने में सहायक है। शिक्षा प्रजातंत्र में प्राण फूँकती है तथा सही अर्थो में शिक्षा ही प्रजातंत्र की आत्मा है।

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.एक्ट)– 2009

इस अधिनियम के अंतर्गत छः से चौदह वर्ष के बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।

4. शिक्षा के अधिकार की कार्यप्रणाली तथा स्थापना–

भारत देश को सुशिक्षित देशों में लाने के लिए राज्यसभा ने 20 जुलाई, 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

आर.टी.ई.एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं–

(क) इस नियम के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 86 वें संशोधन द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया है।

(ख) यदि कोई बालक छः वर्ष की आयु का हो तो उसे अपने स्तर के अनुसार उचित कक्षा में दाखिला दिया जायेगा तथा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी।

(ग) तीन वर्षो के अंतर्गत विद्यालयों का बुनियादी ढाँचा सुधरना चाहिए अन्यथा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

(घ) जन्म–प्रमाण पत्र के अनुसार आयु देखकर ही बच्चों को कक्षा में दाखिला दिया जायेगा किन्तु जन्म प्रमाण पत्र न होने पर उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(ङ) बच्चों को कक्षा में दाखिला लेने के लिए किसी भी तरह की परीक्षा से नहीं गुजरना होता यदि ऐसा होता है तो विद्यालय को जुर्माने के तौर पर 25000 देने होगें।

(च) यह सभी कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर समूचे देश पर लागू है।

''भारत देश हो खुशियों से सरोबार,
न हो कोई अशिक्षा का शिकार।
न मिले बालपन में कोई विकार
मिले सभी को शिक्षा का अधिकार।।

5. आर.टी.ई. के प्रभाव–

इस अधिनियम से शिक्षा के अधिकार का प्रभाव समस्त देश पर देखने को मिला है।

(1) साक्षरता दर में बढोत्तरी– जहां भारत में पहले साक्षर दर 63.4 प्रतिशत थी वहीं यह बढ़कर 74.4: प्रतिशत हो गई है।

(2) बच्चों पर प्रभाव– आर.टी.ई के बच्चों पर अनेक प्रभाव है– मानसिक विकास, व्यक्तित्व में निखार, शारीरिक विकास, प्रतिद्वन्दी भाव एवं आत्मनिर्भरता।

(3) बालश्रम में गिरावट– आर.टी.ई. के माध्यम से अधिकतर बच्चे शिक्षा की ओर अग्रसित हो रहे हैं एंव इसके आने से बालश्रम में काफी कमी आई है।

6. आर.टी.ई. की कमियां–

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियां निम्नलिखित है–

(1) भ्रष्टाचार के चलते लोगों को आर.टी.ई. का सम्पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।

(2) कई क्षेत्रों में सामाजिक बन्धनों की जंजीरों में जकड़ने के कारण बच्चों को शिक्षा रूपी धन से वंचित रखा जा रहा है।

(3) शिक्षा के अतिरिक्त खर्च के कारण आर.टी.ई. को उपर्युक्त तरह से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। इसके प्रचार प्रसार में कमी होने के कारण भी इससे कई बच्चे वंचित है।

''इंकलाब जिंदाबाद का नारा,
एक बार फिर गूंजा दो।
भारत माँ के आँगन में,
शिक्षा रूपी दीप फिर से जला दो।।''

7. सरकार द्वारा मापदण्ड तथा जनसहोग–

सरकार ने आर.टी.ई.– की कमियों को पूर्ण करने के लिए कई कदम उठाएं है। सरकार ने अनेक विद्यालयों का निर्माण किया तथा इसी के साथ अनेक कक्षाएं भी बनवायी है। सरकार ने भूखे बच्चों को विद्यालय को ओर आकर्षित करने के लिए मीड–डे–मील की योजना प्रारंभ की है।

जनसहयोग के रूप में हम विभिन्न कदम उठा सकते हैं, जैसे– जागरूकता फैलाकर, जनसुनवाईयों का हिस्सा बनकर, गैर–सरकारी संगठनों से जुड़कर आदि।

8. उपसंहार–

शिक्षा मनुष्य का अभिन्न अंग है। इससे किसी भी राष्ट्र को सुदृढ बनाया जा सकता है। परन्तु यदि देश के बच्चे ही अंधकार की गर्त में डूबे रहेगें तो उनका भविष्य भी अंधकारमय बनेगा। इस अंधकार को मिटाने के लिए शिक्षा की रोशनी गांव–गांव ढाणी–ढाणी तक पहुंचानी आवश्यक है जिससे हमारे देश का समग्र विकास हो सके।

"विकास जीवन का बिम्ब है,
शिक्षा विकास का अधिकार है।
अपने जीवन को आगे बढाएं,
शिक्षा सभी का अधिकार है"।।

अतः इसी के बाद हम एक सुदृढ़ तथा सुशिक्षित राष्ट्र की कल्पना कर सकते है।

बाल विवाह – कानूनी अपराध

''बालिका का जीवन मत बिगाड़ो

देश को संवारेगी आपकी लाडो।।''

प्रस्तावनाः–

हमारे देश में भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। वैदिक काल में यह संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचायक था परन्तु पूर्ववर्ती काल में इस संस्कार में अनेक विकृतियां एवं कुप्रथाएं समाविष्ट हो गई है। प्राचीन काल में प्राचीन भारत में कई बुरी प्रथाएं प्रचलित थी उनमें से एक बुरी प्रथा थी बाल–विवाह या अनमेल विवाह। इसमें लोग अपने छोटे–छोटे बच्चों की शादी करा देते थे। यह प्रथा पुराने भारत में हर जगह फैली हुई थी। जो कि एक भंयकर रूप धारण कर चुकी थी। यह प्रथा आज भी हमारे भारत में जस की तस अपनी जड़ें जमाए बैठी है। हकीकत तो यह है कि बाल विवाह के साथ चाईल्ड ट्रेफिकिंग और बेमेल/अनमेल शादियों जैसी कुरीतियां और जुड गई है, नतीजन यह कुप्रथा और भी ज्यादा विकृत हो चली है। इस प्रथा ने हमारे समाज व देश पर कई बुरे प्रभाव छोड़े हैं। यह हमारे सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन के लिए एक अभिशाप है।

कैसा अजब ये नियम बना दिया,
कोमल फूलों को रिवाजों तले मुरझा दिया।
जीवन क्या है, जिन्हें मालूम नहीं।
ऐसे नाजुक कन्धों पर
शादी का बोझ डाल दिया।।

बाल विवाह क्या है ?

अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो, या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, वह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसी शादी की कानून में मनाही है। ऐसी किसी शादी के कई कानूनी परिणाम हो सकते हैं:–

18 साल से अधिक उम्र का लड़का अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल की कड़ी कैद या 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

शादी करने वाले जोड़े में से जो भी बालक हो, अपनी शादी कोर्ट से रद्द (अमान्य या शून्य) घोषित करवा सकता है। शादी के बाद यह अर्जी कोर्ट में कभी भी दी जा सकती है पर बालिग हो जाने के 02 साल बाद नहीं।

जो भी बाल विवाह सम्पन्न करे या कराये जैसे पंडित, मौलवी, माता–पिता, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि, उसे 02 साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

जिस व्यक्ति की देखरेख में बच्चा है वह यदि बाल विवाह करवाता है चाहे वह माता पिता, अभिभावक या कोई और हो उसे 02 साल की कड़ी कैद या 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

जो व्यक्ति बाल विवाह को किसी तरह का बढावा देता है या जानबूझकर लापरवाही से उसे रोकता नहीं है तथा जो बाल विवाह में शामिल हो या बाल विवाह की रस्मों में उपस्थित हो, उसे 02 साल की कड़ी सजा या 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

इस कानून में किसी महिला को जेल की सजा नहीं दी जा सकती, केवल जुर्माना हो सकता है।

अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का लड़का 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है तो उसे दो साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

बाल विवाह को शून्य घोषित करने की अर्जी उसी जिला अदालत में दी जाएगी जहां तलाक की अर्जी दी जा सकती है।

बाल विवाह एक कुप्रथाः–

इस कुप्रथा का प्रचलन मध्यकाल में हुआ। जब आक्रान्ता के रूप में आये यवन–तुर्की व आर्य मुगल पठान व विदेशी–विधर्मी जातियां अपनी वासना की पूर्ति के लिए कन्या अपहरण एवं जबर्दस्ती रोटी–बेटी का सम्बंध बनाने की कुचाल चली तो इससे बचने के लिए भारतीय समाज के अशिक्षित व अशक्त लोग अपने छोटे–छोटे बच्चों की शादी करा देते थे। यह प्रथा एक भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। दहेज प्रथा के कारण भी बाल विवाह का प्रचलन हुआ। इस समय कन्या को अशुभ माना जाने लगा और कुछ लोग तो कन्या के जन्म लेते ही उसका जीवनान्त करने में नहीं चूकते थे। बालक बालिकाएं नासमझ रहने से अपने विवाह संस्कार का विरोध भी नहीं कर पाती थी। अधिक दहेज न देने के कारण बाल विवाह का प्रचलन गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बढ़ा। लोग इस प्रथा का विरोध भी नहीं कर पाते थे। फिर कुछ शिक्षित लोग इस प्रथा के विरोध में आने लगे। तमाम प्रयासों के बावजूद आज हमारे देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त नहीं हो पा रहा है। कच्ची उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिये जाने पर बच्चों का जीवन तकलीफों से भर जाता है।

बाल विवाह एक गुलामी है,
गुलामी हमें हटानी है।
हमें तो आगे पढ़ना है,
दुनिया में कुछ करना है,
बाल विवाह एक अपराध है,
अपराधी हमें नहीं बनना है।

बाल विवाह अभिशापः–

विवाह संस्कार में कन्यादान को विशेष मांगलिक कार्य माना जाता है। इसमें कन्या के माता–पिता

अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को कुछ उपहार भी देते हैं। यह प्रथा उतरोत्तर विकृत होती रही, फलस्वरूप लोग कन्या को भार मानने लगे तथा बालपन में ही उसका विवाह करवा कर अपने कर्तव्य से मुक्त होने लगे परन्तु इस प्रथा से समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। बाल–विवाह से लडकियां कम उम्र में ही मां बनने लगी। जिसके कारण उन्हें अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पडा। कई बार तो लड़कियां मर भी जाती थी। बाल–विवाहित पति पत्नी, स्वस्थ व दीर्घायु सन्तान को जन्म नहीं दे पाते। कम उम्र में मां बनने के कारण बालिकाएं न तो परिवार नियोजन के प्रति सजग होती हैं और न ही शिशु के पालन–पोषण में दक्ष और यदि विवाह के पश्चात पति की मौत हो जाए तो उसे उम्र भर विधवा का जीवन जीना पड़ता है और यदि पति बड़ा व समझदार होने के बाद उसे नापसंद कर दे अथवा तलाक दे दे तो उसे जिदंगी भर अकेले जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो उसके लिए नर्क से कम नहीं। कम उम्र की लडकियां अक्सर परिपक्वता, शक्ति व शिक्षा न होने के कारण घरेलू हिंसा, सेक्स संबंधी ज्यादतियों व सामाजिक बहिष्कार की शिकार होती हैं जो उनके लिए एक अभिशाप से कम नहीं। इसलिए बाल–विवाह को अभिशाप व कुप्रथा कहा गया है।

समाज सुधारकों द्वारा बाल–विवाह के निवारणार्थ उपायः–

बाल विवाह को रोकने के लिए समाज सुधारकों ने सर्वप्रथम पहल की। बाल–विवाह एक अपराध है जिसकी रोकेथाम के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को खासकर के युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। बाल विवाह की बुराईयों को देखकर समाज–सुधारकों ने समय–समय पर जन जागरण किए। क्योंकि बाल विवाह को रोकने के लिए जन–जागरण एक महत्वपूर्ण पहल है। समाज–सेवकों ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया तथा इससे संबंधित कई कविताएं, रैलियां, नारे, व अखबारों में आर्टिकल छापकर लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास किया। उन्होनें ''बेटी बचाओं बेटी पढाओं'' की ओर लोगों का अधिक संख्या में ध्यान आकर्षित करके अपने इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरकार द्वारा बनाये गए अधिनियमः–

सरकार ने समय–समय पर बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर संभव योजनाएं व अधिनियम बनाए हैं।

(i) सन् 1928 में सरकार ने ''शारदा एक्ट'' अपनाया जो कि सन् 1929 में पारित किया गया। हाल ही में इसमें 3 संशोधन किये गए हैं। यह एक्ट महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध नाटक ''शारदा विवाह'' से प्रेरित होकर बनाया गया है। जिसमें राजस्थान में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगासिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(ii) सन् 1978 में सरकार ने विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 18 वर्ष व लड़कों की उम्र 21 वर्ष तय की। इस आयु का उल्लघंन करने पर सरकार ने सजा का भी प्रावधान किया।

(iii) सरकार ने बाल–विवाह को रोकने के लिए विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया।

(iv) ''नेशनल प्लॉन फॉर चिल्ड्रन'' नामक योजना सरकार ने 2005 से 2010 तक अपनाई जिसमें छोटे बच्चों के विवाह को रोकने के लिए कई नियम व कानून बनाए गए।

(v) ''बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006'' को 1 नवम्बर 2007 को पारित किया गया। अधिनियम 2006 जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू होता है। इस अधिनियम 2006 की धारा 9 व 10 के तहत 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना घोषित किया गया।

(vi) सन् 1927 में 15 सितम्बर को केन्द्रीय विधानसभा में बाल विवाह के विरूद्ध कानून पारित किया गया जो कि कम उम्र में विधवा हुई बच्चियों के लिए था

सुन लो अम्मा, सुन लो बाबा
बाल विवाह हमें नहीं कराना
यह सोच पुरानी है
इनको नही निभानी है
बाल विवाह गुलामी है
गुलामी हमें हटानी है।

बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है ?

- कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, अपने इलाके के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकते हैं। यह फौजदारी कोर्ट है जो शादी को रोकने का आदेश दे सकता है।
- जिला कलेक्टर/डी.एम. भी बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। यह जानकारी थाने में भी दी जा सकती है।
- रोकने के आदेश के बावजूद सम्पन्न की गई शादी शून्य होगी यानि कानून की नजर में शादी नहीं मानी जाएगी।
- बाल विवाह को रोकने के आदेश दिए जाने के बाद भी अगर कोई बाल विवाह करवाता है तो उसे दो साल तक की साधारण या कड़ी कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- किसी नाबालिग की शादी उसका अपहरण करके, उसे बहला–फुसला कर या जोर–जबरदस्ती से कहीं ले जाकर या शादी के लिए या शादी की रस्म के बहाने बेचकर या अनैतिक काम के लिए की जाए, तो ऐसी शादी भी शून्य मानी जाएगी।
- सरकार द्वारा ''बाल विवाह निषेध अधिकारी'' नियुक्त किए जाएंगे जो बाल विवाह को रोकने के कदम उठाएंगे।
- समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे पंचायत सदस्य, कोई अधिकारी या गैर–सरकारी संस्था के सदस्य को सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

उपसंहार–

बाल विवाह ऐसी कुप्रथा है, जिससे वर वधू का भविष्य अंधकारमय बन जाता है। इससे समाज में

कई विकृतियां आ जाती है, कभी कभी यौनाचार भी हो जाता है। सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनकी जिम्मेंदारी बाल विवाह रोकने की है। समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे पंचायत सदस्य, कोई अधिकारी या गैर सरकारी संस्था के सदस्य को सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी की सहायता करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। बालविवाह से वर वधु का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और इनके अविकसित शरीर से देश का विकास असंभव है। अतः इस कुप्रथा की रोकथाम अपेक्षित है, तभी समाज को इस अभिशाप से मुक्त कराया जा सकता है।

''इस देश को फिर से मिलकर, सोने की चिड़िया बनाना है।
बाल विवाह को रोककर, अपना फर्ज निभाना है।।''

बाल श्रम व बाल तस्करी

"वेदना नहीं वरदान होते हैं बालक,
उन्नति और प्रगति का नाम है बालक।
वजूद उनका कभी मिट सकता है नहीं,
राह दिखाओ तो देश को उत्थान देता है बालक।।"

प्रस्तावना–

14 वर्ष से कम आयु के मजदूर या उद्योगों में काम करने वाले बालक या बालिकाएं बाल श्रमिकों के समूह में आते हैं। खेलने कूदने और पढने की उम्र में मेहनत–मजदूरी की चक्की में पिसता देश का बचपन समाज की सोच पर एक कलंक है।

देश भर में हर रोज सवा सौ से ज्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं, उनमें से ज्यादातर कभी अपने घर लौटकर नहीं आते हैं। लापता बच्चे आखिरकार जाते कहां है। इसका जवाब ज्यादा मुश्किल नहीं है। कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों के अध्ययनों से यह बात साबित हो चुकी है कि मानव तस्करी करने वाले गिरोह इस काम में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं।

बचपन बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास का समय है। ऐसे में सरकार और समाज दोनों का यह कर्तव्य बनता है कि वो बालकों को ऐसा वातावरण उपलब्ध करायें जिसमें उनका समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास हो। समाज की आर्थिक संरचना इस प्रकार की हो कि बालक को अपना पेट पालने के लिए श्रमिक बनकर न जीना पड़े।

बाल तस्करी या बालश्रम से आशय–

14 वर्ष के कम उम्र के बालक–बालिकाओं को बाल श्रमिक कहा जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक–बालिकाओं से श्रम साध्य कार्य या शारीरिक श्रम करवाना बालश्रम कहलाता है। हालांकि भारतीय संविधान में बाल श्रम गैर कानूनी तथा दण्डनीय अपराध है लेकिन फिर भी आज समाज में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक विद्यमान हैं। बाल श्रम तस्करी करने वाले घृणित व्यक्तियों द्वारा बाल श्रमिकों से सार्वजनिक क्षेत्रों में भीख मंगवाने और जेब कतरी जैसे निम्न स्तरीय काम करवाये जाते हैं। बाल श्रमिकों को ढाबों पर

चाय के प्लेट व कप तथा लघु ग्रह उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के अन्य स्थलों पर श्रम साध्य कार्य करते हुए आसानी से देखा जा सकता है।

बाल श्रम / बाल तस्करी की स्थिति–

सन् 1853 में इंग्लैण्ड में 'चार्टिस्ट आंदोलन' ने सर्वप्रथम बालश्रम की अमानवीय प्रक्रिया की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 57 वर्षों के बाद भी भारत में बालश्रम एक ज्वलंत, सामाजिक व आर्थिक समस्या है। भारतीय संविधान के अनुसार 09 से 14 वर्ष के बीच के बालक / बालिका जो वैतनिक श्रम करते हैं अथवा श्रम द्वारा पारिवारिक कर्ज चुकाते हैं, बाल श्रमिक की श्रेणी में शामिल है। ऐसा अनुमान है कि विश्व के 25 करोड़ बाल श्रमिकों में सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में है जिनकी संख्या करीब 10 करोड़ है। इन 10 करोड़ में से 7.5 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में व 2.5 करोड़ शहरी क्षेत्रों में अपना श्रम बेचने को बाध्य है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार पूरे विश्व में एक चौथाई बाल श्रमिक भारत में कार्यरत है।

बाल श्रम के कारण–

कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था–

हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जो खेती पर निर्भर है। वर्षा, अकाल, ओला–वृष्टि जैसी कई अनिश्चितताओं के अलावा खेती करने में भारी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। खेती का धंधा लाभकारी नहीं होने के कारण हर आदमी खेती के लिए मजदूरों का प्रबंध नहीं कर पाता और वह मजबूरन अपने नाबालिग बच्चों को पढ़ाई के स्थान पर खेती के काम में लगा देता है।

नशाखोरी–

समाज के बड़े वर्ग में नशे की लत है। शराब, भांग, गांजा, अफीम जैसे नशीले पदार्थ व्यक्ति की शारीरिक व बौद्धिक क्षमताओं को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। नशीले पदार्थों की लत पड़ जाने पर इन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है तथा नशाखोर व्यक्ति शारीरिक व बौद्धिक श्रम करने में असमर्थ होता है। ऐसी दशा में मजबूरी में माताएं अपने नाबालिग बच्चे को श्रमसाध्य कार्यों में लगवाने व भीख मंगवाने पर विवश होती हैं।

मंहगी एवं रोजगार विहीन शिक्षा व्यवस्था–

गरीब मां बाप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं किन्तु वे आर्थिक विषमताओं के कारण अच्छे स्कूलों का खर्चा वहन करने की स्थिति में नहीं होते है। इसके अलावा यह कटु वास्तविकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में रोजगार की गारन्टी नहीं है। अधिकांश पढ़े लिखे व्यक्ति रोजगार हेतु इधर–उधर भटकते हैं। इस स्थिति में मां बाप की यह सोच है कि वे पढ़ाने की अपेक्षा बच्चों को रोजगार में लगाएं जिसकी प्रगति बाल मजदूरी में हो रही है।

शिक्षा का अभाव–

मां बाप की गरीबी के चलते अधिकांश बच्चे या तो शिक्षा प्रारंभ ही नहीं कर पाते या वे जल्दी ही पढ़ाई छोड़कर अनेक सामाजिक बुराईयों में आसानी से लिप्त हो जाते हैं। वे समाज की आर्थिक प्रगति में भागीदार नहीं हो पाते हैं। यह स्थिति उनके व देश के लिए हानिकारक है। नशे के कारोबार व अपराध की दुनिया में लिप्त हो जाते हैं तथा उन्हें ये आपराधिक दुनिया अच्छी लगने लगती है। इस तरह उन्हें खूंखार

अपराधी बनने एवं अपराध की दुनिया में जाने में देर नहीं लगती है। यह स्थिति उनके साथ समाज के लिए भी घातक है।

बाल श्रम को जड़ से मिटाना है, देश को उन्नत बनाना है।।

बाल श्रम के दुष्प्रभाव–

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। दियासलाई, पटाखों व कांच जैसे खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल श्रमिकों के जीवन पर सदैव खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। वे तरह–तरह की घातक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसी तरह पत्थर व खनन उद्योग में संलग्न बाल श्रमिकों को अस्थमा व श्वास संबंधित रोग होने का भय हमेशा बना रहता है। परिवार की गरीबी व सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण बालकों को भी मजदूरी पर लगाना अभिभावकों की विवशता बन जाती है ताकि येन–केन प्रकारेण परिवार का गुजर बसर हो सके। 'बाल विश्व सम्मेलन' में भी बाल श्रम के लिए गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा गया कि विकासशील देशों के 50 प्रतिशत लोगों की आमदनी एक डॉलर से भी कम है।

बाल श्रम को रोकने के कानून–

1 भारतीय दण्ड संहिता में बाल श्रमिकों से भीख मंगवाना या उनका अपहरण दण्डनीय अपराध है।

2 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370, 317, 360

3 बाल श्रम तस्करी पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976

4 बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005

बाल श्रम व बाल तस्करी रोकथाम के उपाय–

सघन प्रचार प्रसार– विधिक सेवा संस्थाओं का दायित्व है कि वे बाल श्रम व बाल तस्करी से जुड़े सरकार विभागों से समन्वय स्थापित कर, उनके साथ मिलकर बाल श्रम व बाल तस्करी के विरोध में एकजुट होकर जन–जन तक जागृति फैलायें कि बाल श्रम व बाल तस्करी अपराध है तथा इसमें लिप्त होने पर सजा मिलना निश्चित है। ऐसी जन जागृति हो तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है।

सस्ती, गुणवतापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था– कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह ऐसी सस्ती, गुणवतापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा की व्यवस्था करे कि देश का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके तथा इसके उपरान्त रोजगार प्राप्त कर अपना जीवन मानवीय गरिमा के अनुसार जी सके। ऐसा न किये जाने पर बाकी प्रयास वृक्षों की जड़ों को सींचने के स्थान पर पत्तों को पानी देने के समान होंगे।

विधिक सेवा संस्थाएं, पुलिस प्रशासन, स्वंयसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं से मिलकर कार्ययोजना तैयार करें और बीड़ी माचिस, पटाखे, आरी–तारी व चूड़ी जैसे अन्य उद्योगों पर निगरानी रखें। इन स्थानों पर या भीख मांगने व नशाखोरी के धंधों में लिप्त बच्चों को मुक्त करायें, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें तथा बच्चों के मुक्त होने पर उनके पुनर्वास पर प्रतिकर की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करें। वर्तमान में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने पर वे जिस प्रदेश के होते हैं उनके राज्य में भेज दिया जाता है जो वहां पहुंचकर पुनः इस धंधे में लिप्त हो जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सुनिश्चित करना होगा कि मुक्त कराये गये बच्चों को उनके माता पिता के पास पहुंचाया जावे और यदि उसके माता पिता उन्हें रखने में समर्थ नहीं हैं तो पालनहार योजना जैसी संस्था में भेज कर उन

बच्चों की देख–भाल व शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

बाल तस्करी से मुक्त कराये गये बच्चों का पुनर्वास एवं प्रतिकर व्यवस्था–

बाल तस्करी से मुक्त कराये गये बच्चों को पुनर्वास एवं प्रतिकर हेतु 25,000/– पच्चीस हजार रुपये प्रदान किये जाने की व्यवस्था है लेकिन इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाल बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने, उन्हें पुनर्वास व प्रतिकर दिलाने में मदद करने की व्यवस्था की है। आशा है इसका अच्छा परिणाम सामने आयेगा।

बाल पीड़ितों को विधि सहायता– बधुंआ मजदूरी व बाल श्रमिक या बाल अपराध के मामले में यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़ित बालकों को समुचित सहायता मिले, उनके मामलों में ठोस पैरवी हो और दोषियों को निश्चित रूप से सजा मिले।

न्यायालय का दायित्व– बाल बंधुआ मजदूर, बाल अपराधों से जुड़े न्यायालय का दायित्व है कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। बाल अपराध एक गंभीर समस्या है। इसका प्रभाव पूरे देश व समाज पर पड़ता है। ऐसे में दोषी व्यक्ति को कठोर दण्ड दें जिससे वे बाल अपराधों से दूर रहें।

उपसंहार–

बालक देश का भविष्य होते हैं। अगर उन्हें आग की भट्टियों में झोंका जाना बन्द नहीं किया गया तो उसकी गंदी राख से राष्ट्र भी दूषित हो जायेगा। ऐसे में बाल श्रम एवं बाल तस्करी को रोकने के लिए सरकार एवं समाज दोनों का सघन प्रयास अति आवश्यक है। यदि राष्ट्र को विकसित करना है तो बालकों का समुचित विकास अति आवश्यक है और इस ओर ईमानदारीपूर्वक प्रयास किये जाने चाहिए।

बच्चों से मत काम कराओ।
नन्हें हाथों को ना दुःख पहुंचाओ।।

बेटी बचाओ

प्रस्तावना –

"कहती बेटी बांह पसार, मुझे चाहिए प्यार, दुलार।

बेटी की अनदेखी करता है क्यों निष्ठुर संसार।।"

विधाता की सृष्टि में मानव का विशेष महत्त्व है, उसमें भी नर के समान नारी का सम्मान नितान्त वांछित है। नर और नारी दोनों के संसर्ग से भावी संतान का जन्म और मानव समाज का विकास होता है तथा सृष्टि–प्रक्रिया आगे बढ़ती है परन्तु वर्तमान काल में अनेक कारणों से लिंगभेद का पर्याय बनकर नर–नारी के समान अनुपात को बिगाड़ रहा है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या आज मानवता पर एक कलंक एवं अपराधिक कृत्य बन गया है।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण :–

भारतीय मध्यमवर्गीय समाज में कन्या जन्म को अति अमंगलकारी समझा जाता है। लोगों की संकीर्ण सोच इस प्रकार होती है–

'नरक का भय, स्वर्ग की चाहत कि हम जब मरेंगे तो बेटे के हाथ से मुख–बाती नहीं मिली, तो नरक जाना होगा, और बेटी तो पराया धन होती है। परायी का एक पैसा भी मृत्यु के बाद न लगे, इससे पाप लगेगा आदि।

पहले की तुलना में आज पढ़े–लिखे लोगों की संख्या अधिक होने के बावजूद भी वे समाज के रूढ़िवादी रिवाजों व विचारधाराओं से स्वयं को जोड़े रखते हैं। यह रिवाज किसी एक जाति या समुदाय में नहीं वरन् प्रत्येक धर्म, जाति, वर्ग व समुदाय में प्रतिफलित है।

लोग बेटी को जन्म देने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि बेटियों के विवाह के लिए बहुत अधिक धन का व्यय हो जाता है और उन्हें एक मोटी रकम दहेज के तौर पर ससुराल पक्ष को देनी पड़ती है। जिस रकम को चुकाते–चुकाते उनके घर बार, खेत आदि सब कुछ उस कर्ज की बलि चढ़ जाते हैं। जो कर्ज उन्होंने अपनी बेटी को दहेज देने के लिए लिया था और उन्हें (माता–पिता को) अपनी बेटी को नये घर अर्थात् ससुराल भेजने की कीमत बेघर होकर चुकानी पड़ती है।

अनपढ़, गरीब व देहाती लोग ही नहीं, समाज के बड़े–बड़े संपन्न वर्ग के लोग भी दहेज लेते व देते हैं, जबकि गरीबों का दहेज अमीरों के अंगोछे के दाम के बराबर होता है।

इस प्रकार यह दहेज रूपी दानव भी मासूम कन्याओं की हत्या का कारण बन रहा है।

जब एक लड़की अपनी माँ व अपने पिता का घर छोड़कर एक नई माँ पाने की आस में ससुराल में आती है तो सास भी उसे सबसे पहले यही आशीर्वाद देती है–

'पूतो फलो दूधो नहाओ' अर्थात् तुम्हें पुत्र की ही प्राप्ति हो। यदि पुरूष व नारी की सोच में समानता आ जाये तो इस अपराध पर अंकुश लग सकता है।

कन्या भ्रूण हत्या की विद्रूपता –

वर्तमान में अल्ट्रा साउन्ड मशीन वस्तुतः कन्या संहार का हथियार बन गया है। लोग इस मशीन की सहायता से गर्भ में भ्रूण का लिंग पता कर लेते हैं। यदि गर्भ में कन्या हो तो उसे इस दुनिया में आने से पहले ही मार देते हैं।

सोचो, जरा हमारे बिन, बसा सकोगे घर परिवार।

गर्भ से लेकर यौवन तक, मुझ पर लटक रही तलवार।।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ गया है। कई राज्यों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या पन्द्रह से पच्चीस प्रतिशत तक कम है। इस कारण सुयोग्य युवकों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, जिन युवकों की शादियाँ नहीं हो रही हैं वे सभी गुंडागर्दी, आतंकवादी गतिविधियों और बलात्कार आदि अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रतिदिन लगभग ढाई हजार कन्याओं की हत्या की जाती है।

" मेरी व्यथा वेदना का, अब हो स्थायी उपचार।

यमराज कहता है रोको इसको, वरना उजड़ जायेगा संसार।"

हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में इस वीभत्स अपराध की विद्रूपता सर्वाधिक दिखाई देती है। कन्या भ्रूण हत्या का अशिक्षा तथा गरीबी से उतना संबंध नहीं है, जितना कि शहरी स्वार्थी मध्यमवर्गीय समाज से है। लगता है कि ऐसे लोगों में सन्तान के लिंग चयन का बुखार मानसिक विकृति के रूप में पनप रहा है, जो कि मानवता पर एक कलंक है।

कन्या भ्रूण हत्या के प्रतिबन्धार्थ उपाय –

" खुशी की झलक बाबतुल की लाडली होती हैं बेटियाँ, यह मैं नहीं कहता

ये तो रब कहता है कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो जन्म लेती हैं बेटियाँ"

भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अल्ट्रासाउन्ड मशीनों से लिंग जाँच पर पूर्ण रोक (प्रतिबन्ध) लगा दिया है। इसके लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) एक्ट 1994 पारित किया गया है जिसमें कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है। इस कानून के अन्तर्गत गर्भ में लिंग जांच दंडनीय है।

किसी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीकों से गर्भ का लिंग बताना दंडनीय है।

अगर कोई भी व्यक्ति जो गर्भ की लिंग जाँच या चयन के लिए इन तकनीकों की सहायता लेता है इस कानून में दण्डित हो सकता है।

अगर किसी औरत को जांच के लिए मजबूर किया गया तो उसे भी सजा का प्रावधान है।

लिंग जांच की सजा 03 साल तक की जेल और 10,000/– रूपये तक का जुर्माना व दोबारा अपराध करने पर 05 साल तक जेल और 50,000/– रूपये जुर्माना हो सकता है।

कोई भी डॉक्टर या तकनीकी सहायक जो ऐसी गैर कानूनी जांच करता है, उसे 03 साल तक जेल और 10,000/– रूपये तक जुर्माना हो सकता है।

लिंग जांच या लिंग चयन के लिए किसी प्रकार का इश्तिहार देना दंडनीय है। ऐसा करने के लिए 03 साल की जेल का प्रावधान है।

नारी सशक्तिकरण, बालिका निःशुल्क शिक्षा, पैतृक, उत्तराधिकार, समानता का अधिकार आदि अनेक उपाय अपनाये गये हैं। इस दिशा में मानवीय संवेदना का प्रसार तथा पुरूष सत्तात्मक भावना का तिरस्कार अपेक्षित है। यदि समाज में पुत्री एवं पुत्र में अन्तर नहीं माना जावे, कन्या जन्म को घर के लिए शुभ माना जावे, तो कन्या भ्रूण हत्या पर स्वतः ही प्रतिबन्ध लग जायेगा। औरतों को भी यह शपथ लेनी चाहिए कि वह अपने गर्भ में पनप रहे भ्रूण का लिंग नहीं जानने देगी।

" बेटियाँ अनमोल हैं, इन्हें जीने का अधिकार दें।

पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दें"

जन चेतना–जागृति –

" माँ बाप की आंखों का नूर है तू,

हर अपने के दिल का गुरूर है तू,

किंतु पैदा होकर भी कितनी मजबूर है तू"

हम क्या कन्या भ्रूण हत्या रोकने को केवल कागज पर रहने देगें या फिर जीवन में उतारेंगे। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमें जनता को जगाना आवश्यक है, नहीं तो यह निबन्ध केवल कागजों में ही सिमट जायेंगे। गांवों में, कस्बों में, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शाम को चौपाल में कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि गाँव के लोगों व महिलाओं को अधिकाधिक जानकारी हो सके तथा महिलाओं को भी समझाना होगा कि कन्या को जन्म दो, क्योंकि–

" बेटा ले जाता है अगर माँ–बाप को स्वर्ग,

तो बेटी घर ले आती है स्वर्ग,

जहाँ एक परिवार को रोशन करता है बेटा

वहीं दो–दो परिवार की शान होती हैं बेटी"

अगर कन्याएँ नहीं होंगी तो ये संसार नहीं चल पायेगा, क्योंकि एक गाड़ी पहिये से नहीं चलाई जा सकती है।

कन्या के द्वारा गर्भ से अनेक पुकारे आती हैं लेकिन हम लोग इनकी सुनते नहीं हैं। ये सभी बातें हमें लोगों को बतानी चाहिये।

अगर देश की सारी जनता जाग जायेगी, तो कन्या भ्रूण हत्या बिलकुल नहीं होगी। उनको समझाएंगे कि जितना काम बेटा कर सकता है उतना ही बेटी भी कर सकती है, पहले उसे जनम तो देकर देखो, उन्हें गर्भ में ही मत मार गिराओ।

"कच्ची कलियों को जरा खिलने तो दो,

नन्हें पौधों को धूप जरा मिलने तो दो।

नन्हीं चिड़िया को उड़ने से पहले,

पंख तो जरा उसके निकलने दो।।"

हमें लोगों को समझाना होगा कि आपकी बेटी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा जैसी बन सकती है। उनको यह भी समझना चाहिये कि लड़कियाँ दो परिवारों को शिक्षित करती है, लेकिन यह बात दूसरों को कहने से पहले स्वयं को करनी होती है, क्योंकि दूसरों को जगाने से पहले स्वयं का जागना जरूरी है।

कन्याएँ, देवी, माँ, बहिन व पुत्री के रूप में पूजनीय होगी तब ही समाज का कल्याण होगा तथा कन्या भ्रूण हत्या का अंत होगा।

7. उपसंहार –

इस वैज्ञानिक युग में लिंग चयन एवं लिंगानुपात विषय पर काफी चिंतन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कन्या संरक्षण के लिए घोषणा की है। भारत सरकार ने भी लिंगानुपात में अतीव असमानता देखकर कन्या भ्रूण हत्या पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया है। मानवता को कलंकित करने वाला लिंगभेद का यह अपराध बिलकुल समाप्त हो जाना चाहिये। इसको मिटाने के लिए और भी कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिये और जो कोई भी डॉक्टर लिंग जाँच करता है उसे उम्रभर की कैद देनी चाहिये। सरकार द्वारा भी कई लाभकारी योजनाओं का प्रलोभन देकर कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है जैसे लक्ष्मी आपके घर, किशोरी शक्ति योजना। इस प्रकार की जागरूकता फैलाकर ही कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सकता है।

'' पिता का मान होती है बेटी,

जिंदा होने की पहचान होती है बेटी,

जीवन की बगड़िया उजड़ रही है, करनी इसकी रखवाली है,

कन्या को जन्म तो लेने दो बंधु, अगर इसकी शक्ति निराली है।।''

नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य

न्याय, शांति, ईमानदारी, सत्य व्यवहार पर आधारित है
हम विश्वास करते हैं, आप न्याय प्रिय हैं।

रूपरेखाः–

1. प्रस्तावना
2. नागरिकों के मूलभूत कर्त्तव्य
3. नगरिकों के कर्त्तव्यों के आवश्यकता
4. नगरिकों के कर्त्तव्यों का महत्व
5. नागरिकों के मूल अधिकार
6. उपसंहार

1. प्रस्तावनाः–

भारत देश में नागरिकों को अधिकारों के साथ–साथ कर्त्तव्य भी प्रदान किये गए हैं। नागरिकों के मूल अधिकार तथा मूलभूत कर्त्तव्य दोनों परस्पर पूरक हैं। संविधान के 42 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नागरिकों को मूलभूत कर्त्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रदान किये गये हैं। संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूलभूत कर्त्तव्य समावेशित हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत कर्त्तव्य रूस के संविधान से लिये गये हैं। रूस के संविधान से लिये गये ये मूलभूत कर्त्तव्य भारत के नागरिकों को भी प्रदत्त हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बिना मूलभूत कर्त्तव्य का तथा मूलभूत कर्त्तव्य के बिना मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि कर्त्तव्य तथा अधिकार दोंनों का एक दूसरे में समावेश है। नागरिकों को कर्त्तव्य का कानूनी तौर पर भी निर्वहन करना आवश्यक है।

2. नागरिकों के मूल कर्त्तव्यः–

भारतीय संविधान में 42 वें संशोधन द्वारा भाग 4ए जोड़ा गया और मुख्य रूप से मूल कर्त्तव्यों का समावेश किया गया। बाद में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद अब मूल कर्त्तव्यों की संख्या ग्यारह है। ये कर्त्तव्य निम्नलिखित हैं–

1. नागरिकों का कर्त्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।

3. भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।

4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं।

6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिक्षण करें।

7. प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणीमात्र के प्रति दया भाव रखें।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

9. सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढते हुये प्रयत्नों और उपलब्धियों की नई ऊँचाईयों को छू ले।

11. यदि माता–पिता या संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपल्य के लिये शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। (86 वें संविधान संशोधन द्वारा अनु0 51 ए में जोडा गया।)

3. नागरिकों के कर्त्तव्यों की अवश्यकता:–

भारतिय संविधान में मूलभूत कर्त्तव्यों की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि भारतिय संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं और कर्त्तव्य के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। मौलिक अधिकारों को तभी पूर्ण रूप लागू किया जा सकता है जबकि कर्त्तव्यों की पालना सुनिश्चित हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की प्रति के लिये मूलभूत कर्त्तव्यों की आवश्यकता है। मूलभूत कर्त्तव्य हमारे देश के भविष्य को बचाये रखते हैं अर्थात् देश का वर्तमान, भविष्य दोनों में मूलभूत कर्त्तव्य का निर्वहन जिम्मेदार होता है क्योंकि जब हम समय पर अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं, तो देश का भविष्य भी अच्छा होता है। जिस प्रकार परिवार में भी सभी के अपने अपने कर्त्तव्य होते है, जिनका सही समय पर पालन करते रहने से समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। अर्थात् समाज में सुख समृद्धि रहती है। महात्मा गांधी जी का भी यह मानना था कि कर्त्तव्यों के बिना अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है।

4. नागरिकों के कर्त्तव्यों का महत्व:–

नगरिकों के कर्त्तव्यों का महत्व भी उतना ही है,जितना कि एक परिवार या समाज में व्यक्ति का होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने परिवार के भरण–पोषण तथा दैनिक जीवन में उपयोगी आवश्यकताओं का पालन करता है, उसी प्रकार नागरिकों का अपने देश के लिए संविधान में निहित कर्त्तव्यों

का पालन करने का दायित्व होता है। संविधान में अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित ग्यारह कर्त्तव्यों का जब नागरिक पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था के साथ पालन करता है तो उसके द्वारा किये कर्त्तव्यों का महत्व और ज्यादा हो जाता है। संविधान के अनुसार यदि कर्त्तव्यों का पालन किया जाये तो सभी के साथ परस्पर भाईचारे व प्रेम पूर्वक रहकर देश में व्याप्त हिंसा, असत्य तथा भेदभाव पूर्ण माहौल को परिवर्तित किया जा सकता है। देश की संस्कृति को बचाने के लिए पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण ना करके प्रत्येक प्राणिमात्र के प्रति दया भाव रखकर, किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति को ठेस ना पहुँचाकर, भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसार वनों का सरंक्षण कर एवं स्त्रियों का सम्मान करने आदि कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से कर्त्तव्यों का महत्व होता है।

5. नागरिकों के मल अधिकार

भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक में इन मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार नागरिकों के मुख्य–मुख्य मूल अधिकार निम्नलिखित हैं :–

1. समता का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत नागरिकों को समता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुसार–

क– किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं

ख– विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा।

2. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य द्वारा किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा। इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, तालाबों, कुओं, स्नानघाटों, सड़को आदि के उपयोग से वंचित नहीं किया जायेगा।

3. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया हे कि राज्य के अधीन किसी पद या नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी अर्थात् किसी भी व्यक्ति के साथ नियोजन अर्थात् रोजगार के मामलों मे मात्र धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।

4. छुआछूत का अन्त

अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता अर्थात् छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं बरती जाएगी और छुआछूत करने वाले व्यक्ति को विधिक के अनुसार दंडित किया जा सकेगा।

5. **उपाधियों का अन्त**

अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान अर्थात् उपाधियों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का अन्त कर दिया गया है।

6. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता**

अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अर्थात् प्रत्येक नागरिक को अपने विचार अभिव्यक्ति करने एवं विचारों का आदान–प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता एवं सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है।

7. **सम्मेलन करने की स्वतंत्रता**

अनुच्छेद 19 (1) (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को शान्तिपूर्वक एवं अस्त्र–शस्त्र रहित सम्मेलन आदि करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

8. **संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता**

अनुच्छेद 19 (1) (ग) के अन्तर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ अथवा संगठन बनाने, उन्हें चालू रखने अथवा समाप्त करने आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

9. **भारत में भ्रमण आदि करने की स्वतंत्रता**

अनुच्छेद 19 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र विचरण अर्थात् भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में तथा एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है।

10. **निवास करने की स्वतंत्रता**

अनुच्छेद 19 (1) (ड) में भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

11. **व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता**

अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी रुचि का व्यापार, व्यवसाय, वृति अथवा कारोबार आदि करने की स्वतत्रंता प्रदान की गई है।

यहीं यह भी उल्लेखनीय है कि ये स्वतंत्रताएं निरपेक्ष अर्थात् अबाध नहीं हैं। इन स्वतंत्रताओं पर देश की एकता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, मानहानि, अपराध उद्धीपन अथवा न्यायालय अवमानना आदि आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

12. **दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण**

अनुच्छेद 20 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि–

क— किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी कृत्य के लिए दण्डित नहीं किया जा सकेगा, जो तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध न हो,

ख— किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिये एक से अधिक बार अभियोजित एवं दण्डित नहीं किया जाएगा एवं

ग— किसी अपराध के लिये अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध साक्षी बनने के लिये विवश नहीं किया जायेगा।

13. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अर्थात् जीवन जीने का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया यह एक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है।

हमारे उच्चतम न्यायालय ने खड़कसिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1963 सु.को. 1995) के मामले में यह कहा है कि जीवन जीने के अधिकार से अभिप्राय सम्मानजनक एवं मानव गरिमायुक्त जीवन जीने से हैं। इस अधिकार में समय–समय पर हमारी न्यायपालिका द्वारा भी कई अधिकारों को जोड़ा गया है, जैसे–

क— एकान्तता का अधिकार

ख— आवास का अधिकार

ग— पर्यावरण संरक्षण का अधिकार

घ— शीघ्र न्याय पाने का अधिकार

ड— निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार

च— चिकित्सा का अधिकार

छ— शिक्षा का अधिकार, आदि।

14. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 21 क के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

15. गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण

अनुच्छेद 22 के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को निम्नांकित संरक्षण प्रदान किये गये हैं–

क— उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जायेगा।

ख– उसे किसी अधिवक्ता से परामर्श करने का अवसर प्रदान किया जायेगा, तथा

ग– उसे गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

16. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23 एवं 24 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि–

क– किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं ली जाएगी,

ख– उससे बलात् श्रम नहीं लिया जाएगा, एवं

ग– 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा।

17. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अन्तःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने तथा उसका प्रचार–प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति पर किसी धर्म विशेष को नहीं थोपा गया है। सिक्खों को कृपाण लेकर चलने की स्वतत्रंता है।

18. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

संविधान के अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत भारत में निवासी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार प्रदान किया गया है।

19. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद 32 एवं 226 के अन्तर्गत नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिये उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ऐसी याचिकाएं निम्नांकित हो सकती हैं–

क– बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका,

ख– परमादेश याचिका,

ग– प्रतिषेध याचिका,

घ– अधिकारपृच्छा याचिका एवं

ङ– उत्प्रेषण याचिका।

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उसकी आत्मा बताया है।

6 उपसंहार

नागरिकों के मूलभूत कर्त्तव्य जो संविधान के भाग–4 में उल्लेखित हैं, इनके अलावा भी नागरिकों के स्वयं के कर्त्तव्य होते हैं, जिनको वे समुचित ढंग से निभा सकते हैं जैसे– लाल सिग्नल में या प्रवेश निषेध क्षेत्र में गाड़ियों को नहीं ले जाकर, मोटर साईकिल चलाते समय हेलमेट पहनकर या सार्वजनिक स्थान पर गुटखा, जर्दा निकोटिन आदि को न खाना इत्यादि। इसके अतिरिक्त नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख जो, संविधान में किया गया है, इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अपने क्षेत्र में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर हिरासत में भेजकर कठोर दण्ड का भी प्रावधान किया जा सकता है। किसी महिला के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने वाले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(ए) के तहत तीन साल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने पर भा.द.सं की धारा 354 आई.पी.सी. के तहत कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया है।

मूलभूत कर्त्तव्यों के पालन के बिना अधिकारों का कोई अस्तितव नहीं है। यदि मनुष्य अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र व पूर्ण विकास असम्भव है। जब कोई नागरिक अपने कर्त्तव्यों से परिचित होगा तो वह दूसरों को भी कर्त्तव्यों के प्रति सचेत करेगा। ''देश की रक्षा व सुरक्षा की भागीदारी का यही मंतव्य संविधान के भाग–4 क नागरिकों के मूल कर्त्तव्य में उल्लेखित है।

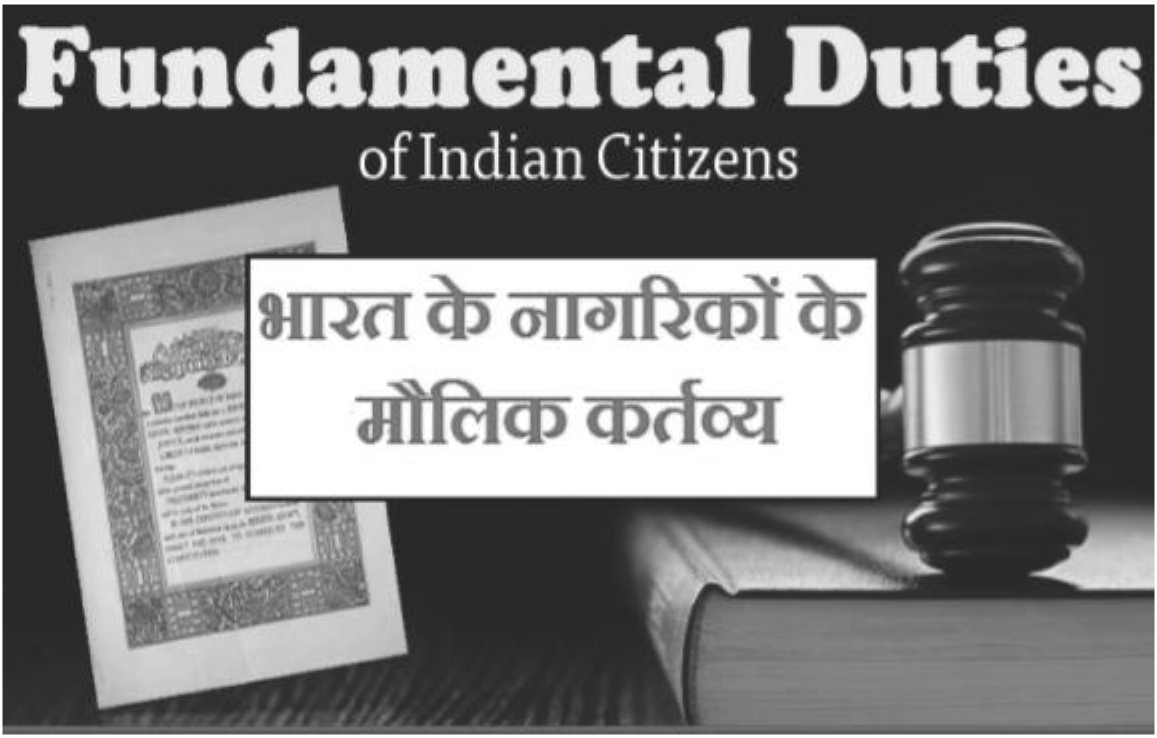

नकल - एक अपराध

छात्रो में नकल की प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 बनाया गया हैं। अनुचित साधनों का अर्थ है परीक्षा में किसी भी व्यक्ति या बाहरी साधन जैसे प्रिन्टेड मैटीरियल या टेलीफोन इत्यादि की अनुचित सहायता लेकर पेपर हल करना। नकल करना अपराध है तथा यह 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने से दण्डनीय है। इस अधिनियम के तहत पेपर आउट करना भी अपराध है।

प्रश्न पत्रों की चोरी करना, डकैती या अनुचित रूप से प्रश्न पत्रों को कब्जे में रखना, नकल करने में सहायता करना भी अपराध है और ऐसा करने पर सजा हो सकती है। किसी अन्य व्यक्ति से अपना पेपर दिलवाना या किसी अन्य छात्र की जगह खुद पेपर देकर आना भी कपट का अपराध है। पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। यदि सरकारी नौकरी लगवाने के लिए कोई व्यक्ति पैसे प्राप्त करता है तो यह भी कपट की श्रेणी में आता है। यदि कोई छात्र ऐसे व्यक्ति को रूपये देता है तो वह वापस नहीं मांग सकता क्योंकि विधि की नजर में ऐसा एग्रीमेंट शून्य है।

आज के भौतिक युग में बहुत से व्यक्ति कम से कम मेहनत कर शीघ्र ही हर चीज हासिल कर लेना चाहते हैं। वे ऐसे सुगम मार्ग की तलाश करते हैं जहां सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए वे अनैतिक मार्ग अपनाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसी ही प्रवृत्ति कुछ विद्यार्थियों के मध्य भी पनप रही है। वे मेहनत नहीं करना चाहते हैं तथा यह सोचते हैं कि वे परीक्षा में नकल करके सफलता हासिल कर लेंगे। वे इस भ्रम में रहते हैं कि नकल करने का ऐसा कोई नया तरीका अपनायेंगे जो किसी की भी पकड़ में नहीं आयेगा तथा वे परीक्षा में सफल हो जायेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को यह भान नहीं होता है कि अनैतिकता की बुनियाद पर बनी इमारत बहुत अधिक दिन खड़ी नहीं रह सकती है, एक न एक दिन धराशाई हो ही जाती है। ऐसे विद्यार्थी नकल कर एक या दो परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं परन्तु वे केवल नकल के सहारे अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। वे नकल कर कुछ कक्षायें शायद उत्तीर्ण कर लें परन्तु नकल के सहारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अन्ततोगत्वा उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा तथा उनका जीवन बर्बाद ही होगा। उन्हें शायद यह भी पता नहीं होता है कि नकल करने के दौरान यदि वे पकड़े गये तो कठोर कानून के तहत उनके विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी, अदालत से जमानत होने पर ही वे रिहा होंगे, अदालत में पेशियों पर जाना पड़ेगा तथा उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जायेगा। उनके माथे पर ऐसा कलंक लगेगा कि वे कभी भी अच्छी नौकरी नहीं पा सकेंगे।

किशोर विषयक कानून

शब्द जुवेनाईल (किशोर) जिसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के JUVENIS से हुई है का मतलब युवा है। किशोर न्याय अधिनियम का महत्वपूर्ण उद्देश्य उन सभी युवाओं को रक्षा एवं संरक्षण देना है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की। विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देख–रेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के विकास, उचित देख–रेख, संरक्षण और उपचार प्रदान करने के लिए। साथ ही साथ बालकों के सर्वोत्तम हित में मैत्रिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके समाज में पुनः पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को पुनः अधिनियमित करते हुए नया अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 लागू किया है।

नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरों के मुताबिक 60539 किशोर थे, जो 2014 के दौरान विभिन्न किशोर बोर्डों के समक्ष पेश किए गए।

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (35) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बालक को किशोर माना गया है। किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, 01 जनवरी, 2016 से लागू हुआ है। अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ शब्दों को हटाते हुए बालक शब्द की नई नामावली में परिवर्तन किया गया है। साथ ही अनाथ परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषा को शामिल किया गया है। धारा 15 के अन्तर्गत 16 से 18 साल की उम्र के बाल अपराधियों के द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के लिए विशेष प्रावधान किए गए है, जिसमें 07 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ इस अधिनियम में गोद लेने की प्रक्रिया तथा पुनर्वास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। देख–रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद की श्रेणी में निम्नलिखित बालकों को शामिल किया गया है–

1. अनाथ
2. अभ्यर्पित
3. निराश्रित/परित्यक्त
4. बेसहारा
5. गुमशुदा एवं घर से भागे हुए बालक।
6. बच्चे जिनके माता–पिता पालने में सक्षम नहीं है।
7. विपत्तिग्रस्त अथवा कठिन परिस्थिति में रह रहे बच्चे।
8. हिंसा, शोषण और दुर्वयव्हार से बचाए हुए बच्चे।
9. मानसिक और शारीरिक रूप से विमंदित एवं बीमार बच्चे।
10. मानव तस्करी से मुक्त कराए बच्चे।
11. भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे।

इस अधिनियम में विशेष रूप से दत्तक ग्रहण के संबंध में भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

वृद्धजन या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल एवं भरण-पोषण

माता–पिता का भरण पोषण करना प्रत्येक व्यक्ति का न केवल कर्तव्य है, अपितु यह एक कानूनी बाध्यता भी है।

इस हेतु माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 बनाया गया है।

भरण–पोषण–

- कोई वरिष्ठ नागरिक माता–पिता, जो स्वयं का भरण–पोषण करनने में असमर्थ हैं, अपने वयस्क बच्चों से भरण–पोषण की माँग कर सकते हैं।
- यदि वरिष्ठ नागरिक निःसंतान हो तो ऐसे नातेदार से भरण–पोषण प्राप्त कर सकता है, जो उसकी संपत्ति को प्राप्त करेगा या संपत्ति जिसके कब्जे में हैं।

भरण–पोषण की रकम–

- भरण–पोषण इतना होगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता साधारण जीवन जी सकें।
- भरण–पोषण की अधिकतम राशि 10,000/– मासिक हो सकेगी।

आवेदन–

- भरण–पोषण हेतु आवेदन वरिष्ठ नागरिक कर सकेंगे।
- यदि वह अशक्त है तो उसका अधिकृत व्यक्ति आवेदन कर सकेगा।

आवेदन अधिकरण को–

- भरण–पोषण का आवेदन अधिकरण को किया जाएगा।
- राज्य सरकार प्रत्येक उपखण्ड में अधिकरण का गठन करेगी।
- अधिकरण की अध्यक्षता एस.डी.ओ. करेगा।

धारा 125 की कार्यवाही–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के महत यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने माता–पिता का जो अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण–पोषण करने से इंकार करता है तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को अपने माता–पिता का भरण–पोषण करने का आदेश दे सकता है। उक्त धारा में भरण–पोषण की कोई अधिकतम राशि तय नहीं है।

पर्यावरण संरक्षण

उद्योगों की होड़ डगर को छोड़ शुगम को लील रही।
कहाँ हुई कुछ भूल, कहाँ कुछ ढील रही।
यहाँ धुआँ वहाँ धुआँ, गगन धुआँ जमीं धुआँ।
धुएँ के इस गुब्बार में, यह जिंदगी है सुलग रही।

प्रस्तावना : –

पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि+आवरण जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है वातावरण अर्थात हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। जिस प्रकार मानव निर्माण में पंचतत्वों का सहयोग होता है उसी प्रकार पर्यावरण के निर्माण में भी जल, वायु, भूमि आदि का योग होता है जिससे पर्यावरण का निर्माण होता है।

पर्यावरण प्रदूषण आज सम्पूर्ण विश्व की ज्वलंत समस्या है। न केवल मानव जाति अपितु पशु – पक्षी भी इस समस्या से त्रस्त है। पर्यावरण प्रदूषण से न केवल मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अपितु इससे जल, वायु, ध्वनि और भूमि भी प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये समय – समय पर अनेक कानून बनाये गये है यथा –

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974,
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण को व्यक्ति का मूल अधिकार माना गया है।

संविधान के अनुच्छेद 51 क में पर्यावरण संरक्षण को व्यक्ति का मूल कर्त्तव्य भी माना गया है। इसमें यह कहा गया है कि –

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अनतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।"

इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण न केवल व्यक्ति का मूल अधिकार है अपितु उसका मूल कर्त्तव्य भी है। पर्यावरण प्रदूषण को विभिन्न विधियों में दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

पर्यावरण प्रदूषण के कारण–

आज हमारा निर्मल पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि मानव स्वयं ही है। मानव के द्वारा वृहद् स्तर पर पर्यावरण दूषित किया जा रहा है। मानव अपने उपयोग के लिए पेड़ों को काट रहा है, जहरीला धुँआ उत्सर्जित करने वाले संसाधनों का उपयोग कर रहा है तथा इन सभी

कारणों से हमारी पृथ्वी से लगभग 30 किमी ऊपर स्थित ओजोन परत अपक्षयित हो रही है तथा अनेक प्रकार से मानव पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। प्राचीन काल में द्विवेदी ने लिखा था :–

''प्रकृति रही दुर्जय पराजित सब भुले मद में।
भुले बिसरे सब कुछ विलासिता के नद में।।''

मानव अन्य प्रकार यथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन का प्रयोग कर रहा है जिसके कारण ओजोन परत बुरी तरह अपक्षयित हो रही है।

पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव–

जिस वृहद स्तर पर मानव पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है उसी वृहद स्तर पर मानव अपने कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है अर्थात ओजोन परत के अपक्षय के कारण मानव को विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे – त्वचा कैंसर आदि। पर्यावरण प्रदूषण व वनों की कटाई के कारण जीव–जन्तुओं को भोजन व शुद्ध जल प्राप्त नही हो रहा है जिसके कारण जीव–जन्तुओं की प्रजातियाँ नष्ट हो रही हैं। अर्थात पर्यावरण प्रदूषण से केवल मानव ही नहीं अपितु जीवों को भी कष्ट भोगना पड़ रहा है।

प्रदूषण के प्रकार : पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से चार प्रकार का माना गया है –

1. जल प्रदूषण,
2. वायु प्रदूषण,
3. पर्यावरण प्रदूषण एवं
4. ध्वनि प्रदूषण।

जल प्रदूषण : जल प्रदूषण से अभिप्राय जल से संबंधित ऐसा कोई कार्य या प्रयोग करने से है, जिससे न्यूसेंस पैदा हो, या मानव जीवन, पशु पक्षी, पौधों या जलीय जीवों का जीवन और स्वास्थ्य संकट में पड़ जाये।

मौटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि –

1. जल प्रदूषण जल के भौतिक, रसायनिक एवं जैविक गुणों में विपरीत परिवर्तन है।
2. यह जल की गुणवत्ता में कमी लाता है और इसके उपभोग को हानिकर बनाता है।
3. यह प्रदूषण किसी बाह्य पदार्थ द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, चाहे वे प्राकृतिक स्त्रोतों से उत्पन्न हो या मानवीय कृत्यों के परिणाम हो।
4. प्रदूषण जल मानव सहित जीव – जन्तुओं व जलीय जीवों के लिये हानिकर हो जाता है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

वायु प्रदूषण : वायु जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि व्यक्ति को स्वच्छ हवा अथवा वायु न मिले तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। लेकिन आज प्रदूषित वायु से जनजीवन संकट में पड़ गया है।

''वायु प्रदूषण से अभिप्राय वातावरण में वायु प्रदूषक का विद्यमान होना है।''

वायु प्रदूषक से अभिप्राय मानव प्राणी, अन्य जीवित प्राणी, पौधे और सूक्ष्म जीवाणु, संपत्ति अथवा

पर्यावरण के लिये हानिकर होने वाले संकेन्द्रण में विद्यमान ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ अर्थात् ध्वनि से है।

स्त्रोत : वायु प्रदूषण के अनेक स्त्रोत हो सकते है, जैसे –

1. ताप, बिजली घर आदि द्वारा उगले गये कालिख, राख आदि।
2. परिवहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला शीशा, कार्बन मोनो आक्साइड गैस आदि।
3. रसायनिक खाद कारखानों से निकलने वाला अमोनिया, हाइड्रोकार्बन आदि।
4. जीवनाशी रसायनों का प्रयोग।
5. सूती मिलों से निकलने वाले अवशेष आदि।
6. नगरपालिकाओं के बड़े – बड़े प्रदाह संयत्र।
7. सीवर, नालियाँ और मेनहॉल।
8. घरेलू वायु प्रदूषण जैसे – तंबाकु, सिगार, हुक्का, बीड़ी आदि से निकलने वाला धुआं।

वायु प्रदूषण जीवन के लिये बहुत हानिकर है। इससे ह्रदयरोग, टीबी, श्वास रोग आदि होने का खतरा बढ़ जाता है।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिये वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत दण्ड की व्यवस्था की गई है।

ध्वनि प्रदूषण : ध्वनि प्रदूषण वर्तमान समय की एक भयावह समस्या है। वातावरण में बढ़ते हुए शोर से आम आदमी परेशान है। वाहनों, औद्योगिक कारखानों आदि से कारित ध्वनि न केवल अप्रिय होती है अपितु वह स्वास्थ्य के लिये हानिकर भी होती है।

स्त्रोत : ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्त्रोत हैं, जैसे – उद्योग, रेडियो, टेलीविजन, मिलों के सायरन, लाउडस्पीकर, मोटर वाहन, रेल परिवहन, रॉकेट, विस्फोट, फायरिंग, बैण्ड बाजा आदि।

दुष्परिणाम : वायु प्रदूषण के अनेक दुष्परिणाम है जैसेः–

1. बातचीत में व्यवधान,
2. नींद में व्यवधान,
3. कान के पर्दों का फट जाना,
4. स्वभाव का चिड़चिड़ा हो जाना,
5. हृदय विकार हो जाना,
6. भोजन नली व आंतों में मरोड़ उत्पन्न होना,
7. गर्भस्थ शिशु में जन्मजात दोष उत्पन्न हो जाना आदि।

निवारण : ध्वनि प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिये सन् 2000 में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए गए हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा को निर्धारित किया गया है।

क्षेत्रों को चार भागों में बाँटा गया है – औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं शान्त क्षेत्र। इनमें भी दिन एवं रात्रि के समय ध्वनि की सीमा निर्धारित की गई है।

इस प्रकार प्रदूषण निवारण के लिये विभिन्न प्रकार के कानून बनाये गये हैं। हमारी न्यायपालिका ने समय – समय पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिये अनेक उपाय किये है।

ताजमहल के सौन्दर्य को बचाने के लिये उच्चतम न्यायालय ने अनेक कारखाने बंद करवाए। गंगा के पानी को दूषित होने से रोकने के लिये अनेक दिशा – निर्देश जारी किए गए।

वन संरक्षण

वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। वन से पर्यावरण संरक्षण के साथ – साथ अन्य अनेक लाभ समाज को होते हैं। वन से इमारती लकड़ी मिलती है, अनेक प्रकार के फल – फूल मिलते है, वन्य जीवों का संरक्षण मिलता है, स्वच्छ पर्यावरण को सम्बल मिलता है। इस प्रकार वन जीवन के लिये अपरिहार्य है। वनों का संरक्षण हम सभी का दायित्व है। पिछले कुछ वर्षों में वनों की कटाई और विनाश होने लगा है। वन सम्पदा के कम हो जाने से अकाल की आशंका भी बढ़ी है। ऐसी स्थिति में वनों के संरक्षण के लिये सन् 1927 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया।

इस अधिनियम में वनों के संरक्षण के बारे में अनेक प्रावधान किये गये हैं, जैसे –

1. वनों को आरक्षित करने की शक्ति,
2. ग्रामीण वनों का निर्माण,
3. संरक्षित वनों का संरक्षण आदि।

अपराध एवं दण्ड : इस अधिनियम की धारा 33 में वन संबंधी अपराधों एवं उनके लिये दण्ड के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार निम्नांकित कृत्य छः माह तक की अवधि के कारावास अथवा पाँच सौ रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डनीय अपराध होंगे –

1. आरक्षित वन में से किसी वृक्ष को गिराना, छांटना, छागना, जलाना, छाल उतारना, पत्तियाँ तोड़ना अथवा अन्यथा नुकसान पहुँचाना।
2. प्रतिषिद्ध क्षेत्र में प्रतिकूलतया पत्थरों की खुदाई करना, चूने या लकड़ी का कोयला फूंकना, वन उपज का संग्रहण करना आदि।
3. प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी भूमि को खेती या अन्य किसी प्रयोजन के लिये तोड़ना या साफ करना।
4. किसी वन को आग लगाना।
5. ऐसी आग को जलता हुआ छोड़ देना।
6. किसी वृक्ष को इस प्रकार गिराना अथवा इमारती लकड़ी को इस प्रकार खींचना कि उस वृक्ष को नुकसान पहुंचे।
7. पशुओं से ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुँचाना आदि।

धारा 35 के अन्तर्गत राज्य सरकार किसी वन या बंजर भूमि में निम्नांकित कार्यों में निषेधित कर सकेगी –

1. खेती के लिये भूमि खोदना या साफ करना।
2. ढोर चराना अथवा वनस्पति को जलाना या उसे साफ करना।

सम्पत्ति को अभिगृहीत किया जाना : किसी वन अपराध में काम में लाई जाने वाली निम्नांकित वस्तुओं अथवा संपत्ति को धारा 52 के अन्तर्गत अभिगृहीत किया जा सकेगा –

1. औजार
2. छकड़ी
3. नाव
4. पशु आदि

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वन संबंधी अपराधों में किसी सक्षम वन अधिकारी के साथ समझौता किया जा सकेगा।

पर्यावरण प्रदूषण व वन संरक्षण के उपाय–

प्रसाद जी ने लिखा था –

''एक तुम विशाल भूखण्ड और प्रकृति वैभव का आनन्द''।

विभिन्न देशो की सरकार तथा सरकारी संगठनो द्वारा वृहद् स्तर पर संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं। सन् 1992 में ब्राजील में 174 देशों का सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी ली। यही नही जोहानसबर्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जावे। हमारे द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करने चाहिए जैसे आवश्यकता होने पर पेड़ काटने पर उसके दस गुना पेड़ लगाने चाहिए। संसाधन जो कम प्रदूषण करें, उनका उपयोग करना चाहिए–

''मत लो तुम वृक्षो की जान,
धरती होगी, रेगिस्तान।''

इसके लिए अधिकाधिक वृक्ष लगाने चाहिए। क्लोरोफ्लोरो कार्बन का उपयोग बंद कर देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाकर धरती रूपी माँ को स्वर्ग बनाना चाहिए। जैसा कि इन पंक्तियों से विदित होता है:–

धरती पर है स्वर्ग कहाँ,
हरे–भरे हैं वृक्ष जहाँ।''

उपसंहार:–

सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम वनों को बचाने के लिए चलाए जाते है, जैसे वनमहोत्सव। किन्तु यह केवल कार्य सरकार का ही नहीं है अपितु मनुष्य का भी है कि वह पर्यावरण की रक्षा करें।

''पानी, पेड़ और शुद्ध हवा,
जीवन की अनमोल दवा''।
''जंगल कटते गये और शहर बसते गये,
आज शहर ही जंगल है और आदमी ही जानवर।''

प्लास्टिक सुविधा कम – दुविधा ज्यादा

दिए धरती ने बेशुमार उपहार हमें

खूबसूरती से भरा संसार हमें,

बचाए प्लास्टिक से धरा,

प्रकृति से मिलेगा मुस्कान का प्यार हमें।

प्रस्तावनाः–

कुछ समय पहले तक कहा जाता था कि यह लौह युग है लेकिन अब प्लास्टिक का दौर है। हर जगह प्लास्टिक नजर आता है। कहीं जरूरी सामानों के रूप में, तो कहीं सामानों को रखने के लिए आवश्यक लगने वाली पन्नियों के रूप में। जो दशक पहले तक लोहे का हुआ करता था, लेकिन अब बाल्टी, मग से लेकर दरवाजे – खिड़कियां तक, सब कुछ प्लास्टिक है।

कैसे बचेगा भू का आँचल, धुआँ गाड़ी छोड़ रही।

प्लास्टिक कचरा ढेर लगा, कहाँ माटी में जान रही।।

प्लास्टिक का स्वास्थ्य पर प्रभावः–

लेकिन यह प्लास्टिक जितना लगता है, उतना जरूरी नहीं है। हम प्लास्टिक की खपत दो – तिहाई तक कम कर सकते हैं। इस उपयोग को न्यूनतम किए जाने के पीछे कुछ गम्भीर कारण है। वजह है, हमारा स्वास्थ्य। प्लास्टिक की पन्नियों और अन्य कंटेनर के सम्पर्क में रहकर खाद्य सामग्री प्रभावित होती है। तापमान, खट्टापन, चिकनाई, लम्बा वक्त इस प्रक्रिया को तीव्र करते हैं और वह खाद्य पदार्थ कैंसर जैसे घातक रोगों की जड़ भी बन जाता है। सबसे बड़ी बात, स्वाद में भले ही बदलाव महसूस न हो, पर खाने–पीने की चीजों में घातक रसायन मिल चुके होते हैं।

प्लास्टिक से होता प्रदूषण :–

प्लास्टिक लम्बे समय तक अपघटित नहीं होता। हजारों वर्षों तक अपघटित नहीं होता। हजारों वर्षों तक भूमि में यूं ही दबा रहता है और भूमि व पानी को खराब करता रहता है। प्लास्टिक की चीजों और थैलियों की वजह से नालों का प्रवाह रूक जाता हैं। नदियों में कचरा इकठ्ठा होता रहता है। इसका सीधा असर हमारे जीवन और स्वास्थ्य पर पड़ता है।

प्लास्टिक की पन्नियों को गायें और अन्य पालतू पशु चबाते हैं और असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। जब गायें पन्नियां आदि प्लास्टिक की चीजों को खाकर मरती हैं, तो वे यकायक नहीं मर जाती। यह प्लास्टिक उनके पेट में धीरे–धीरे असहनीय पीड़ा देता रहता है।

प्लास्टिक रोकथाम के उपाय –

प्लास्टिक की पतली थैलियों का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप दुकानदार हैं, तो कागज की पुड़िया बनाने या चीजों को कागज की थैली में देने की शुरूआत फिर से करें। आप ग्राहक हैं, तो खरीददारी के लिए जाते वक्त खादी या जूट का थैला रखना ना भूलें। सब्जियां सीधे थैले में डलवा लें, न कि पन्नियों में। वैसे भी, सरकार ने बहुत पतली पन्नियों पर कानूनी पाबंदी लगा रखी है। पतली पन्नियों के नुकसान अधिक हैं। एक तो इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। सर्वाधिक कचरा इन पतली पन्नियों का ही होता है। दूसरे, ये एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाती हैं, यानि इनकी री–साईक्लिंग होने की सम्भावना नगण्य होती है।

प्लास्टिक थैलियाँ हटाकर देखिए
हर सामान कपड़ा थैली में डालकर देखिए
ये जिन्दगी मिली है जीने के लिए
स्वच्छ भारत बनाकर देखिए।

प्लास्टिक से मुक्ति –

कागज की थैलियां या अन्य बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री प्लास्टिक की तुलना में थोड़े ज्यादा मूल्य की हो सकती हैं लेकिन जब आप खाने – पीने की चीजों में प्रकृति का ध्यान रखते हैं और ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होते है, तो इसमें क्यों नहीं ? सरकारी नीतियों की वजह से प्लास्टिक, कपड़े और कागज की तुलना में सस्ता होता है। आप एक जागरूक नागरिक के तौर पर दबाव बनाएं कि सरकार कागज, कपास, जूट आदि को प्रोत्साहित्त करें, जिससे किसानों का भला भी होगा।

उपसंहार –

राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान प्रारम्भिक चरण में है। इसे गांधीजी की 150 वीं जयंती तक चलाकर देश को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त करना है। सरकार के इस अभियान में जनता का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

विधिक सेवा - उभरते आयाम

राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कार्य :–

1. राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा किवह केन्द्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करें
2. ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन मानदण्डों की पूर्ति करते हैं।
3. लोक अदालतों का संचालन करना
4. निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना
5. स्थाई लोक अदालतों का संचालन
6. वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था
7. विधिक चेतना का प्रचार एवं प्रसार और
8. ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किये जावे

मुफ्त कानूनी सेवाएं

मुफ्त कानूनी सेवाएं में निम्न सम्मिलित हैंः–

1. किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में देय या खर्च की गई कोर्ट– फीस, प्रोसेस फीस तथा अन्य प्रभारों का भुगतान ।
2. कानूनी कार्यवाही में प्रमाणित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों की कॉपियां प्राप्त करना तथा देना।
3. कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों की छपाई व अनुवाद कराना तथा अपील तैयार कराना।

मुफ्त कानूनी सेवाएं के लिए पात्र व्यक्ति :–

- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं हो।
- महिलाएं तथा बच्चें
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन– जाति के सदस्य
- मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति
- हिरासत में व्यक्ति
- औधोगिक कर्मकार
- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ, सूखा, भूकम्प, औधोगिक हिंसा से पीड़ित
- मानव दुर्व्यवहार और बेगारी से पीड़ित

लोक अदालत

लोक अदालत विवादों के त्वरित निस्तारण का एक सशक्त मंच है। लोक अदालत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है लोगों की अदालत है जहां दोनों पक्ष मिल बैठकर आपसी सहमति एवं राजीनामें से विवाद का समाधान करते हैं। लोक अदालत कोई नई अवधारणा नहीं है बल्कि यह प्राचीन काल से हमारी

सामाजिक व्यवस्था का भाग रही है। पुराने जमाने में पंचों के माध्यम से विवाद का निस्तारण करने की व्यवस्था थी। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा चौपाल पर बैठकर आपसी समझाइ से राजीनामा कराया जाता था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987) द्वारा पंच न्याय की इस विधि को कानूनी रूप देते हुए लोक अदालत का नाम दिया गया ।

लोक अदालत की विशेषताएं–

लोक अदालत की निम्न विशेषताएं हैः–

I. जनता की अदालत
II. सुलह, समझौते एवं राजीनामें का मंच
III. शीघ्र एवं सस्ते न्याय का उपक्रम
IV. न किसी की हार, न किसी की जीत
V. दी गई कोर्ट फीस वापिस

a. लोक अदालत में कौनसे मामले रखे जा सकते हैं–

लोक अदालत में ऐसे सभी राजीनामा योग्य मामले रखे जा सकते हैं, जो न्यायालय के समक्ष लम्बित हों या न्यायालय में पेश किये जा सकते हों। लोक अदालत द्वारा ऐसे आपराधिक मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जो कानून में राजीनाम योग्य नहीं है।

b. लोक अदालत द्वारा लिये जाने वाले मामलें:–

निम्नलिखित प्रकार के मामले लोक अदालत द्वारा लिए जा सकते हैंः–

- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद
- मोटर दुर्घटना
- दीवानी
- फौजदारी राजीनामा योग्य
- भूमि अधिग्रहण
- श्रम विवाद
- कर्मकार–मुआवजा
- बैंक वसूली
- पेंशन
- आवास तथा कच्ची बस्ती सुधार
- आवास एवं वितीय
- उपभोक्ता शिकायत
- बिजली संबंधी

- टेलीफोन बिल संबंधी
- आवास कर व नगर पालिका
- सेलुलर कम्पनियों के उनकी सेवाओं से संबंधित

लोक अदालत में कार्यवाही कैसे की जाती है :—

कोई भी पक्ष अपना प्रकरण लोक अदालत को रैफर के लिए उस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है, जहां उसका प्रकरण लम्बित है। लोक अदालत रैफर मामले की संख्या के आधार पर लोक अदालत की बैंचों का गठन किया जाता है। लोक अदालत की बैंच में कम से कम दो सदस्य या अधिकतम तीन सदस्य होते है। पहला सदस्य सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होता है, जबकि दूसरे व तीसरे सदस्य अधिवक्ता या समाज सेवी होते है।

लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा न होकर बहुत ही सहज होता है। लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर कह सकते हैं। राजीनामा किसी भी पक्ष पर थोपा नहीं जाता है, बल्कि दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति होने पर ही लोक अदालत द्वारा आदेश पारित किया जाता है।

दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर लोक अदालत एक आदेश करती है, जिसे अवार्ड कहा जाता है। अवार्ड दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यदि कोई अवार्ड की पालना करने से इंकार करता है तो सिविल न्यायालय की डिक्री की भांति इसकी पालना कराई जा सकती है। अवार्ड द्वारा विवाद का अंतिम रूप से निपटारा होता है। लोक अदालत में राजीनामा होने पर दोनों पक्षों को कोर्ट फीस वापिस मिल जाती है।

लोक अदालत अन्याय मिटाये,

भाईचारा खूब बढ़ाये।

स्थायी लोक अदालत

क्या आप निम्न जन उपयोगिता सेवाओं में कमी से त्रस्त और परेशान हैं :—

1. वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा
2. डाक, तार या टेलीफोन सेवा
3. ऐसा स्थापन जो जनता को विधुत प्रकाश या जल का प्रदाय करता है
4. लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली
5. अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवायें तथा
6. बीमा सेवा
7. शिक्षा

तो आइये आप स्थायी लोक अदालतों की सेवा का लाभ लीजिए एवं एक जिम्मेदार एवं जागरूक नागरिक होने का परिचय दीजिए।

क्या है स्थाई लोक अदालतें ?

ये अदालतें राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22–बी के तहत गठित की गई है, जो उपरोक्त वर्णित जन–सेवाओं से संबंधित विवादों का आपसी समझाइश से समझौता नहीं होने की दशा में पक्षकारों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर मामले का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निर्णय करती है एवं ऐसा निर्णय दीवानी अदालत की डिक्री की भांति पालन योग्य है।

स्थाई लोक अदालत में ही क्यों आया जाए ?

क्योंकि इस अदालत में कोई भी आम नागरिक अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर अपने मामले की पैरवी सुगमता से कर सकता है। क्योंकि उपरोक्त प्रकार के विवादों का निर्णय सरल एवं सामान्य एवं प्राकृतिक न्याय विधि के आधार पर ही होता है। बिना कोर्ट फीस पेश किए सामान्य आवेदन पर ही विवादों का अंतिम निस्तारण हो जाता है।

मुख्य विशेषताएं:–

अधिनियम की धारा 22–ड़ के अनुसार:–

1. इस अधिनियम के अधीन स्थाई लोक अदालत द्वारा गुणावगुण के आधार पर या समझौता करार के निबंधानुसार दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और उसके सभी पक्षकारों और उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर आबद्धकर होगा।
2. इस अधिनियम के अधीन स्थाई लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा।
3. इस अधिनियम के अधीन स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और किसी भी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
4. स्थाई लोक अदालत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय आदेश को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो यह उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।

वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था

वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय एवं प्रत्येक जिला स्तर पर एक – एक वैकल्पिक विवाद निराकरण केन्द्र (Alternative Disputes Resolution Centre) स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से विवादों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है।

मध्यस्थता बात चीत की एक प्रकिया है जिसमें एक मध्यस्थ अधिकारी विवाद में लिप्त पक्षकारों के बीच सुलह करवाने में मदद करता है। वह फैसला नहीं करता है। बल्कि उत्प्रेरक की तरह पक्षकारों को साथ लेकर विचार विमर्श द्वारा समझौता कराने का प्रयास करता है।

मध्यस्थता के लाभ

1. विवाद का शीघ्र व सरल समाधान
2. विवादर बढ़ने से पहले सुलझाना
3. समझौता होने पर दोनों पक्षों के लिये समान रूप से जीत की स्थिति
4. आपसी रिश्तों में सुधार
5. मध्यस्थ के सामने दोनों पक्षों द्वारा खुल कर बात चीत
6. खर्चा रहित प्रणाली, विवाद का तुरन्त समाधान

मध्यस्थता से मामला निपटे, बना रहे व्यवहार।
समय, रूपया दोनों बचे, हर दिन हो त्यौहार।।

कानूनी सेवा क्लीनिक

आमजन को कानूनी सलाह देने के लिए राजस्थान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति स्तर से लेकर ताल्लुक विधिक सेवा समिति स्तर तक प्रत्येक न्यायालय मुख्यालय पर विधिक सेवा क्लीनिक की स्थापना की हुई है। इन कानूनी सेवा क्लीनिकों पर आमजन को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी कार्यवाही करने के लिए सलाह दी जाती है।

उपसंहार

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का यह प्रयास है कि चारों तरफ विधिक साक्षरता एवं विधिक जागृति हो। कोई भी गरीबी या अन्य किसी कमी के कारण न्याय पाने के समान अवसर से वंचित ना रहे । उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हों, वह गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें और देश की उन्नति में अपना योगदान कर सकें। विधिक सेवा संस्थाएं इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयासरत् है।

साइबर अपराध

इक्कीसवीं शताब्दी का प्रारंभिक काल कम्प्यूटर, इन्टरनेट, सूचना प्रोद्योगिकी आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसे सूचना क्रान्ति का प्रारंभिक काल भी कहा जा सकता है। कम्प्यूटर और इन्टरनेट आज मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। इनसे सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति को एक नई दिशा मिली है। लेकिन साथ ही साथ ये एक अभिशाप भी बने हैं। कम्प्यूटर और इन्टरनेट ने अनेक अपराधों को जन्म दिया है। इनसे व्यक्ति के नैतिक जीवन पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साइबर अपराध, अपराधों की एक नवीनतम तकनीक है। इन अपराधों को नियंत्रित करने तथा इनकी रोकथाम के लिए सन् 2000 में सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम पारित किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नांकित कृत्यों को दण्डनीय अपराध माना गया है–

1. कम्प्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश।
2. किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में अनुज्ञा के बिना कोई डाटा, कम्प्यूटर डाटा संचय या सूचना डाउनलोड करना, उसकी प्रतिलिपि करना अथवा उसके उद्धरण लेना।
3. किसी कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क में किसी कम्प्यूटर वायरस का प्रवेश करना या करवाना।
4. किसी कम्प्यूटर प्रणाली या कम्प्यूटर नेटवर्क को विच्छिन्न करना।
5. किसी अश्लील अथवा कामोत्तेजक सूचना या सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना।
6. संसूचना सेवा द्वारा आक्रामक संदेश भेजना।
7. किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य विशिष्ट पहचान का कपटपूर्वक या बेईमानीपूर्वक प्रयोग करना।
8. किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके गुप्तांग का चित्र लेना अथवा उसकी एकान्तता का उल्लंघन करना।
9. साइबर आतंकवाद फैलाना अर्थात् देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा, प्रभूता आदि को खतरे में डालना।
10. अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन अथवा पारेषण करना।
11. इलेक्ट्रॉनिक रूप में लैंगिक प्रदर्शन करने वाली सामग्री का प्रकाशन करना।
12. काम–वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करना आदि।

इस अधिनियम में साइबर अपराधों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। अनेक अपराधों के लिए दस लाख रूपय तक के जुर्माने और लम्बी अवधि के कारावास के दण्ड की व्यवस्था है।

इन अपराधों के निराकरण के लिए अधिनियम में न्याय–निर्णयन अधिकारी एवं साइबर विनियमन अपीलीय अधिकरण की व्यवस्था की गई है।

रैगिंग विरोधी कानून

रैगिंग का सामान्य परिचयः–

स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त जब विद्यार्थी महाविद्यालयों या व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश लेता है, तब उसे इस नये वातावरण में एक विकट समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे रैगिंग कहते हैं। रैगिंग का सामान्य अर्थ है कष्ट देना या परिचय की दृष्टि से हँसी करना। रैगिंग सीनियर्स द्वारा जूनियर्स के साथ किया जाने वाला प्रथम परिचयात्मक व्यवहार होता है, परन्तु व्यवहार में आक्रामकता के कारण नव प्रवेशी छात्रों में भय जागृत हो जाता है। यह आज के शैक्षिक वातावरण में सीनियर्स की फूहड़ता की निशानी है। रैगिंग शब्द पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में रहा है। महाविद्यालयों में यह परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। पहले यह परंपरा एक सुखद औपचारिकता के रूप में चलती थी। नए छात्रों का परिचय लिया जाता था, पार्टियां होती थी, नए प्रविष्ट छात्रों का अदब करते थे। अपना रौब जमाने को वरिष्ठ छात्र कभी–कभी नवीन छात्रों से कुछ विचित्र और मनोरंजक कार्य भी कराते थे।

नव–प्रवेशी विद्यार्थियों में रैगिंग का बढ़ता आतंकः–

वर्तमान में रैगिंग की कुप्रथा नव–प्रवेशार्थियों में आतंक का पर्याय बनती जा रही है। वरिष्ठ छात्र नये छात्रों को तुच्छ और निर्बल समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो अमानवीय ही कहा जा सकता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में तो यह समस्या दिनों दिन विकराल रूप धारण करती जा रही है। यह बदतमीजी भरा अशोभनीय कृत्य है जो प्रतिभाशाली, स्वाभिमानी और संवेदनशील नव–प्रवेशी छात्र के व्यक्तित्व पर चोट पहुंचाकर उसे अवसाद और कुण्ठा का शिकार बना देता है। वह हुई बेइज्जती से इतना लज्जित हो जाता है कि शिक्षण संस्थान को छोड़कर घर भाग आता है या आत्महत्या भी कर लेता है। आये दिन इस तरह के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं जो रैगिंग के बढ़ते आतंक की ओर संकेत है। रैगिंग का वर्तमान स्वरूप बहुत ही विकृत और असहनीय बन चुका है। वरिष्ठ छात्रों ने तरह–तरह से उत्पीड़न करना अपना अधिकार समझ लिया है। रैगिंग या परिचय के नाम पर कनिष्ठों के साथ अत्यन्त अशोभनीय व्यावहार होता है। इस कुप्रथा के कारण अनेक होनहार छात्र–छात्राएं आत्महत्या करने को विवश हो चुके हैं। रैगिंग का आतंक नए छात्रों पर इस कदर हावी है कि सभ्य और संकोची छात्र महाविद्यालयों में प्रवेश लेने से घबराते हैं।

रैगिंग क्या है?– रैगिंग से क्या तात्पर्य है?

रैगिंग से तात्पर्य साथी विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले ऐसे क्रियाकलापों से है, जिनसे किसी (विद्यार्थी) को शारीरिक, मानसिक परेशानी एवं शर्मिंदगी झेलनी पड़े। जैसेः–

1. किसी विद्यार्थी को उसकी आदतों की वजह से या बिना वजह चिड़ाना या उसको अपमानित करना, उसका मजाक उड़ना जिससे उसे मानसिक एवं शारीरिक क्षति हो।
2. किसी विद्यार्थी से ऐसा कार्य करवाना या ऐसा काम करने को बोलना या ऐसा कार्य करने के लिये मानसिक या शारीरिक दबाव डालना, जो विद्यार्थी के दैनिक एवं सामान्य क्रियाकलापों में नहीं आता हो।

रैगिंग का उद्भव–

आजकल भारत में भारतीय शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग गहरी जड़ें जमा चुकी है परन्तु मूल रूप से रैगिंग एक पश्चिमी संकल्पना है। रैगिंग की शुरूआत कई महाद्वीपों से हुई है। रैगिंग की शुरूआत यूरोपीय विश्वविद्यालयों से मानी जाती है जहां सीनियर (विद्यार्थी) छात्रों द्वारा नए आगन्तुक विद्यार्थियों के साथ शारीरिक मजाक किया जाता था। परन्तु धीरे–धीरे रैगिंग सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में रैगिंग के विरूद्ध कई कड़े नियम लागू हो चुके हैं और रैगिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दुर्भाग्य से हमारे देश ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था से रैगिंग जैसी बीमारी तो ग्रहण कर ली किन्तु इस अमानवीय कृत्य से पूरी तरह निकल नहीं पा रहे हैं। बल्कि हमारे देश में तो आजकल रैगिंग वीभत्स (भयानक) रूप में प्रचलित हो गया है।

रैगिंग के प्रकार–

यह माना जाता है कि हर मनुष्य की परिकल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। रैगिंग के संदर्भ मे

यह बात पूर्णतया सत्य है कि मनुष्य की परिकल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। वर्तमान में रैगिंग शिक्षण संस्थाओं में अमानवीय, भद्दे तरीके से प्रचलित है। आजकल शिक्षण संस्थाओं विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैगिंग के कई प्रचलित तरीके हैं। कुछ प्रचलित तरीके निम्न प्रकार हैं–

- ड्रेस कोड रैगिंग
- औपचारिक परिचय
- मौखिक यातना (भद्दे, असभ्य सवाल करना)
- मजाक उड़ाना
- होस्टल रैगिंग
- ड्रग्स, शराब लेने के लिए बाध्य करना
- सीनियर छात्रों के लिए नोट्स बनाना, कपड़े धुलवाना, सफाई करवाना।
- यौन उत्पीड़न आदि

रैगिंग के प्रभाव–

रैगिंग की परम्परा पश्चिमी देशों में शुरू हुई थी। उन देशों में सेना के जवानों के बीच रैगिंग का रिवाज था। किन्तु कॉलेजों में आज रैगिंग का कोई मतलब नहीं बनता। नये छात्रों को अपमानित करने की परम्परा हमारे संस्कृति के लोकाचार के खिलाफ है क्योंकि हमारी संस्कृति तो अतिथि देवो भवः की वकालत करती है। नये छात्रों का विश्वास पाने की जगह सीनियर सहपाठी नये आने वाले छात्रों के दुश्मन बन जाते हैं। यह हमारे मूल्यों में एक घिनौनी गिरावट है। हर सभ्य संस्कृति की तरह ही हमारी संस्कृति में भी अपने से उम्र में भी छोटों को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन रैगिंग के फलस्वरूप हर साल दो चार छात्र आत्महत्या कर लेते हैं कुछ मानसिक रूप से गंभीर बीमार हो जाते हैं। वैसे तो अधिकांश नये छात्र रैगिंग के फलस्वरूप अल्ट्रामार्डन बन जाते हैं लेकिन कुछ छात्रों को रैगिंग के दौरान जबर्दस्त झटका लगता है। जो कुछ बचपन से किशोरावस्था तक पहुंचने में सीखे हुए होते हैं, सब एक झटके में धराशायी हो जाता है। ऐसे में कुछ लड़के–लड़कियां मानसिक तौर पर बुरी तरह से टूट जाते हैं, कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं। रैगिंग अनेक मेधावी छात्रों को भी बर्बाद कर देती है।

रैगिंग के कारण छात्र (विद्यार्थी) पर विभिन्न दुष्प्रभाव पड़ते हैं जैसे–

- शारीरिक एवं मानसिक कष्ट
- यौन उत्पीड़न
- मानवाधिकारों का हनन
- जबरन मादक पदार्थों व ड्रग्स सेवन की शुरूआत करना
- कॉलेज छोड़ना
- सामूहिक हिंसा
- मृत्यु
- आत्महत्या

रैगिंग के छात्र (विद्यार्थी) के अतिरिक्त उसके परिवार के सदस्यों व शिक्षण संस्थाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। रैगिंग से पीड़ित छात्र (विद्यार्थी) या छात्र के परिवार को भी अपने बच्चे को देखकर पीड़ा भोगनी पड़ती है। ऐसे शिक्षण संस्थान, जहां (विद्यार्थी) छात्रों की रैगिंग ली जाती है, उनकी समाज में छवि खराब हो जाती है। जिन छात्रों द्वारा रैगिंग ली जाती है, उन छात्रों की स्कूल, कॉलेज में छवि खराब हो जाती है, फलस्वरूप उन्हें स्कूल कॉलेज से बाहर किया जा सकता है एवं आगामी शिक्षा से भी उन्हें वंचित रखा जा सकता है। इससे दोषी छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है, शिक्षा अपूर्ण रह जाती है जिससे ना केवल उन्हें बल्कि उनके परिवारजनों को भी समाज में नीचा देखना पड़ता है।

रैगिंग के विरूद्ध विधान–

सम्पूर्ण भारत में रैगिंग की घटनाऐं होने के कारण तमिलनाडू, केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल ने रैगिंग के विरूद्ध निम्न कानून बनाये हैंः–

1- The Prohibition of Ragging Act, 1995 (Applicable in State of Tamil Nadu)

2- The Andhra Pradesh Prohibition of Ragging Act, 1997

3- The Kerala Prohibition of Ragging Act, 1998

4- The Maharashtra Prohibition of Ragging Act, 1999

5- The Prohibition of Ragging in Education Institute Act, 2000 (Applicable in the State of West Bengal)

इसके अतिरिक्त भी हमारे देश में कई अन्य राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में रैगिंग को प्रशासनिक आदेश एवं सर्कूलर जारी कर प्रतिबंधित कर दिया गया है। रैगिंग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में दिशा निर्देश दिये गये हैं। इनमें रैगिंग ऑफ फ्रेशर्श इन तिरूवनन्तपुरम गवर्नमेंट इंजिनियरिंग कॉलेज बनाम स्टेट ऑफ केरल एवं विश्व जागृति मिशन जरिये अध्यक्ष बनाम केन्द्रीय सरकार जरिये केबिनेट सेक्रेटरी तथा अन्य में यह दिशा निर्देश दिये गये हैं कि रैगिंग के मामले में दण्ड स्वरूप–

- छात्रवृत्ति व अन्य लाभ रोके जावें
- विभिन्न कार्यक्रम आदि में सम्मिलित होने पर रोक लगाना
- परीक्षा परिणाम रोकना
- हॉस्टल तथा मेस से निकाला जाना
- रैगिंग से सम्बन्धित विधान व आदेश छात्रों तथा उनके अभिभावकों के ज्ञान में लाना
- हॉस्टल के वार्डनों का नये छात्रों के संपर्क में रहना
- रैगिंग के दुष्प्रभावों के बारे में नोटिस बोर्ड, पोस्टर, साईन बोर्ड आदि से जानकारी प्रदान करना।
- छात्रों और उनके अभिभावकों से अण्डरटेकिंग लिया जाना
- समाज को रैगिंग के प्रति संवेदनशील बनाना

- रैगिंग रोकने में विफल रहने को लापरवाही का कृत्य मानना
- ऐसे संस्थान, जिनमें रैगिंग के मामले सामने आयें उनकी वित्तीय सुविधायें वापस लेना।

रैगिंग के प्रत्येक मामले में कॉलेज/विद्यालय प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाना आवश्यक है। ऐसे मामलों में कॉलेज/विद्यालय प्रशासन द्वारा दोषी (विद्यार्थी) के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिये और ऐसे प्रत्येक मामले की जानकारी उनके द्वारा जिला स्तर पर गठित एन्टी रैगिंग कमेटी या फिर संबंधित यूनिवर्सिटी को दी जानी चाहिये। रैगिंग का अपराध करने वाले दोषी छात्र (विद्यार्थी) को जुर्माने या फिर कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है।

परिचयात्मक रैगिंग के विद्यार्थियों पर सुखद प्रभावः–

रैगिंग अपने मूलस्वरूप में विद्यार्थियों के लिए एक सुखद अनुभव भी हो सकता है। वरिष्ठ और नवीन प्रविष्ट छात्रों के बीच बड़े और छोटे भाईयों जैसा व्यावहार हो। वरिष्ठ छात्र नवागन्तुकों का मार्गदर्शन करें। उनकी कठिनाईयों और समस्या को हल करने में सहयोगी बनें। कनिष्ठ छात्र, वरिष्ठ छात्रों का उचित सम्मान करें। रैगिंग एक बदनाम शब्द हो चुका हैं इसे परिचय या कोई अन्य उचित नाम देना और इसके आतंकी स्वरूप से मुक्त करके छात्रों के लिए एक सुखदायी अनुभव बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में परिचयात्मक रैगिंग को महत्व दिया जाना चाहिए अर्थात अनुभव बनाया जाना चाहिए जिससे उनमें आपसी सौहार्द समभाव, बन्धुत्व की भावना का सहज विकास हो सके, वे एक दूसरे के सुख–दुःख में सहभागी बनेंगे। सहज परिचयात्मक रैगिंग का महाविद्यालयी वातावरण पर सुखद प्रभाव पड़ेगा और अगर भाई–बहिनों जैसा व्यावहार हो तो उसमें कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ता है। कई दूर से आने वाले जिनके माता–पिता का सम्पर्क नहीं हो पा रहा है उनके लिए उनका साथी उनका सहयोग कर सकता है और वहाँ के दुकानदारों से उधार चीजें ला कर अपना काम चला सकते हैं। सरकार को कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए और वहां रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था सही रहे। विद्यालयों में सिर्फ पढ़ाई का ध्यान रखने के अलावा कुछ ही बातों का ध्यान रखना चाहिए अर्थात् पार्टियों का काम नहीं होना चाहिए। वहाँ पर विद्यार्थी इन कामों से दूर रहकर अपनी अच्छी पढ़ाई कर अपना काम पूरा कर सकता है। विद्यालयों में सरकार को अध्यापक व वहां की सारी सुविधा करवाना आदि अनेक बातों का ध्यान रखकर उनके विद्यालयों में सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए ताकि और विद्यार्थी वहां पर प्रवेश ले सकें।

रैगिंग, विद्यार्थी की विद्यार्थी के द्वारा की जाने वाली समस्या है। अतः इसका समाधान भी विद्यार्थियों द्वारा ही संभव है। ऐसे समय में जबकि विद्यालयों या फिर कॉलेजों में रैगिंग के मामले में वृद्धि हो रही है, विद्यार्थी समुदाय को इस अमानवीय कृत्य के विरूद्ध अपनी चेतना जागृत करनी चाहिये, जिससे निर्दोष विद्यार्थी को इसका शिकार होने से बचाया जा सके और शिक्षण संस्थाओं को तिरस्कृत होने से रोका जा सके।

नशाखोरीः समस्या एवं समाधान

रूपरेखा :–

1. प्रस्तावना
2. मादक पदार्थ – सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति
3. मादक पदार्थ – सेवन के दुष्परिणाम
4. नशाखोरी की समस्या
5. नशे की प्रवृत्ति से मुक्ति – समाधान
6. उपसंहार।

1. प्रस्तावना

जब कोई व्यक्ति कृत्रिम आनन्द की अनुभूति के लिए किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है जिससे उसके शरीर व मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है तो इसे ''नशा'' कहते हैं। नशा किसी अभोज्य खाद्य पदार्थ पर कृत्रिम निर्भरता और उसकी गुलामी के समान है जो नशे के लगातार सेवन से उस पर हमें न केवल निर्भर बना देता है बल्कि हमारी दैनन्दिनी व हमारे परिवार को भी प्रभावित करता है। नशा करना कोई नया विषय नहीं है। वैदिक काल में भी सोमरस के रूप में संभवतः यह प्रचलन में था, तो परवर्ती काल में मदिरा एवं विभिन्न आसवों का प्रयोग होता रहा है। अफीम का नशा भी समाज में विद्यमान रहा है, किन्तु इस तरह की प्रवृत्ति उस समय सीमित मात्रा में थी। परन्तु वर्तमान काल में पाश्चात्य सभ्यता, चलचित्रों की अपसंस्कृति, फैशनपरस्ती, बेराजगारी, कुण्ठा आदि के प्रभाव से युवाओं में नशे की कुप्रवृत्ति बढ़ रही है। आधुनिक युग में प्रयोगशालाओं में नये–नये रसायनों के माध्यम से युवाओं के लिए नशे के प्रयोग हो रहे हैं नशे का बुरा पहलू यह है कि शुरूआत में सिर्फ शौक या फिर क्षणिक आनन्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाद में यही शौक लत (आदत) बन जाती है। इसकी चरम परिणति यह है कि नशे पर मानसिक निर्भरता हो जाती है।

2. मादक पदार्थ – सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति

वर्तमान में हमारे देश के युवाओं में नशे की कुप्रवृत्ति बढ़ रही है जो चिन्ता का विषय है। अब तो आतंक की बढ़ रही गतिविधियों में भी अवैध रूप से सीमा पार से हो रही तस्करी एक प्रमुख कारण के रूप से हमारे सामने आ रही है। आतंकवाद और नशे के तस्करों का यह सम्बन्ध भारत राष्ट्र की सुरक्षा के लिये भी खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

मादक पदार्थों के प्रकार – मादक पदार्थ चार प्रकार के होते है :–

1) कानूनी रूप से अप्रतिबंधित नशीले पदार्थ हैं–
कैफीन, शराब, निकोटिन, गुटखा, तम्बाकू, भांग आदि।

2) कानूनी रूप से प्रतिबंधित नशीले पदार्थ –
चरस, गांजा, अफीम, हेरोईन, मॉरफीन, कैरक आदि।

3) विभन्न आसव–शराब, बीयर, स्कॉच, विभिन्न एल्कोहॉलिक द्रव्य

4) डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवाईयां– यद्यपि ये नशे के लिए नहीं बल्कि किसी रोग के ईलाज के लिए होते हैं तथापि इनके दुरूपयोग से इन पर निर्भर हो जाना नशे के ही समान माना जाता है। इनमें शामिल है–खांसी के लिए सिरप, नींद की दवाईयां, एण्टी डिप्रेसेन्ट औषधियां, नारकोटिक एनालजेसिक्स इत्यादि।

उपरोक्त सभी श्रेणियों में नशे की आसान उपलब्धता से नशे पर अंकुश लगाने में मुश्किलें आ रही हैं। ये नशीले पदार्थ आसानी से ऐसे स्थानों पर उपलब्ध हैं जहां से युवाओं को आसानी से इसका शिकार बनाया जा सकता है। प्रारम्भ में स्कूल–कॉलेजों में जाने वाले युवाओं, बेराजगारों तथा फैशन–परस्त युवकों को मुफ्त में नशा उपलब्ध कराया जाकर जाल में फंसाया जाता है। ऐसे नशे में मार्फीन, हेराईन, ब्राउन शुगर, स्मेक, गांजा, चरस आदि शामिल है। बाद में नशे की लत होने पर ऐसे शिकार युवक नशे के स्थाई ग्राहक हो जाते हैं। नशे के व्यापार में अनके संगठित व असंगठित गिरोह लगे हुए हैं तथा स्मगलिंग कर इन मादक पदार्थों का विक्रय किया जाता है।

3. मादक पदार्थ – सेवन के दुष्परिणाम

नशा कोई भी हो, वह मनुष्य के लिए अन्ततः हानिकारक ही होता है। नशे की लत से स्वास्थ्य–हानि होती है, नशे का आदी व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है सोचने समझने का सामर्थ्य कम हो जाता है, साथ ही धन का अपव्यय होता है। मादक पदार्थों के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। नशे की लत के कारण लूटपाट, छीना–झपटी, दुराचार–कदाचार आदि कुकृत्य बढ़ रहे हैं। मादक पदार्थों के व्यापार की छाया में आतंकवाद पनप रहाहै। अच्छे सम्पन्न घर बर्बाद हो रहे हैं तथा पारिवारिक हिंसा, कलह एवं मारपीट की भयानक घटनाएं प्रतिदिन देखने–सुनने में आ रही है। इस प्रकार मादक पदार्थ सेवन के भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं जो परिवार, समाज, देश व सभी के लिये चुनौती पेश कर रहे हैं।

4. नशाखोरी की समस्याएं –

- आंखे लाल होना, सूजन होना।
- सुस्त रहना, दैनिक क्रिया–कलाप में उत्साह की कमी।
- चिन्तित, अनमना व आलसी रहना।
- थकान महसूस होना।
- शरीर में ऐंठन, शारीरिक दुर्बलता का अनुभव।
- सोने की आदत में बदलाव (ज्यादा या कम नींद)
- अधिक गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन।

नशे के शारीरिक प्रभावों में हम पाते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि के कैन्सर, हीमोग्लोबीन की मात्रा में कमी, फेफड़ों में संक्रमण, दमा, पेट व आंतों में घाव, हृदय, यकृत एवं फेफड़े खराब होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह तो केवल नशे का शरीर पर होने वाला

प्रभाव है इससे ज्यादा दुखद तो यह है कि नशे का प्रचलन युवा वर्ग में देखा–देखी या साथियों के प्रभाव आदि से बढ़ रहा है, तो कुछ सम्पन्न घरों के युवकों में शराब, व्हिस्की एव बीयर का सेवन करना उनका स्टेट्स हो गया है। समस्या यह भी है कि शराबखोरी को समाज में सम्पन्नता, आधुनिकता व सामाजिक हैसियत से जोड़कर देखा जा रहा है। सम्पन्न परिवारों के युवाओं में नशा मानसिक–चारित्रिक पतन कर रहा है और गरीब परिवारों में यह उनके जीवन की कुण्ठाओं के नकली शमन के साधन के रूप में अथवा पलायन के साधन के रूप में स्थान ले रहा है। समाज के दोनों ही वर्गों में यह खतरे की घण्टी है।

5. नशे की प्रवृत्ति से मुक्ति–समाधान

- **शासन व्यवस्था की सोच में परिवर्तन** – नशे की प्रवृत्ति को सामाजिक दृष्टि से हेय माना जाता है और नशेबाजों को अपमानित होना पड़ता है। परन्तु सरकार द्वारा मदिरा, भांग आदि के व्यवसाय के लाइसेंस दिये जाते हैं, जिस पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाना जरूरी है। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि मादक पदार्थों के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति होती है परन्तु शासन व्यवस्था को राजस्व प्राप्ति के लाभ–हानि के ऊपर उठकर समाज के सर्वांगीण विकास के बारे में विचार करना चाहिए।
- **नशे की आसान उपलब्धता पर नियन्त्रण** – नशे की आसान उपलब्धता को हमें कठोरता से नियन्त्रित करना होगा। स्कूल कॉलेजों के आसपास अथवा जहां युवाओं को आसानी से इसका शिकार बनाया जा सकता है वहां पुलिस के द्वारा कार्यवाही कर कठोरता से धर पकड़ की जा सकती है।
- **नशे के पीड़ित की समस्या का निदान तथा उसका पुनर्वास** – कई बार निजी समस्याओं के चलते युवा नशे का शिकार हो जाता है जैसे बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, बीमारी इत्यादी। ऐसे में व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण से शिकार व्यक्ति नशे की लत के दुष्चक्र से निकल सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की परेशानी समझकर, उन्हें सम्बल प्रदान कर, उनकी काउन्सिलिंग कर उनकी मदद की जा सकती है और उन्हें नशे की लत से बाहर लाया जा सकता है। पीड़ित के प्रति सहानुभूति अपनाई जाना आवश्यक है ताकि वह अपराध बोध से मुक्त हो सके। पीड़ित को यह अहसास कराना जरूरी है कि वह बीमार है न कि अपराधी।
- **एनडीपीएस कानून तथा आबकारी कानून का प्रभावी इस्तेमाल** – नशे के कारोबार करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियन्त्रण होना आवश्यक है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व आम नागरिक इन कानूनों के प्रावधानों को प्रभावशाली बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। अपराधों के निवारण में आम नागरिक की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।
- **त्वरित विचारण** – नशे के कारोबारियों के न्यायिक विचारण में तेजी लाई जाकर उन्हें उचित सजा दी जा सकती है। इससे कानून में आम जन की आस्था भी बढ़ती है और अपराधियों में भी भय आता है।
- **सामाजिक बंदिशें** – सामाजिक मर्यादाओं एवं सरकारी कानूनों का पालन करने से भी मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लग सकता है। युवाओं को सत्परामर्श से भी इस प्रवृत्ति से मुक्त किया जा सकता है।
- **आत्मनियन्त्रण तथा इच्छा शक्ति** – मादक पदार्थों का खुले आम विक्रय करना अथवा सेवन

करना भले ही अपराध घोषित किया गया है, परन्तु इस पर कारगर नियन्त्रण आवश्यक है। नशे की प्रवृत्ति को परिवार के लोगों की सहायता से, चिकित्सकीय परामर्श से तथा आत्मिक दृढ़ इच्छाशक्ति से रोका जा सकता है। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, नशे से होने वाली बीमारियों की सही व पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए तथा नशे का स्वयं के स्तर पर विरोध करना चाहिए एंव दबाव पड़ने पर 'ना' करने के कौशल का उपयोग करना चाहिए।

6. उपसंहार :–

मादक पदार्थों का सेवन क्षणिक सुख होता है। सुख का यह भाव स्थायी नहीं है। मादक पदार्थ सेवन से शरीर पर तो विपरीत प्रभाव पडता ही है पीड़ित का पूरा व्यक्तित्व इससे प्रभावित होता है। नशा सम्पूर्ण परिवार के लिए घातक है। यह परिवार की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करता है जिससे समस्याओं की नवीन श्रृखंला परिवार में शुरू हो जाती है। घरेलू हिंसा, कर्जा, सामाजिक उपहास इत्यादि इसके परिणाम हैं। तमाम विषमताओं के बावजूद नशे पर विजय असम्भव नहीं है। दृढ़ आत्मविश्वास, पारिवारिक सहयोग से इस पर न केवल नियन्त्रण किया जा सकता है वरन् नये जीवन की शुरूआत भी की जा सकती है।

भ्रष्टाचार निरोधक कानून

1. प्रस्तावना –

भ्रष्टाचार वर्तमान युग में विकसित मानव की सबसे बड़ी कमियों और चुनौतियों मे से एक है। आधुनिक युग में मानव विकास के तथाकथित मानकों और विज्ञान विकास की गाथाओं के मानवीय दम्भ को चुनौती अगर वर्तमान में किसी समस्या ने दी है तो वह भ्रष्टाचार ही है। भारत राष्ट्र के संदर्भ में यह और भी चुनौती पूर्ण हो जाती है क्योकिं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए विश्व की 17.5 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और एशिया की महाशक्ति होने का दावा भी करता है। भारत ने 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के समय इस राष्ट्र के करोड़ो लोगों के द्वारा यह स्वप्न देखा गया था कि सदियों की गुलामी के पश्चात देश नई रोशनी से विश्व क्षितिज पर उदयमान होगा। उम्मीद की गई थी कि हम देश का चहुँमुखी विकास कर पाने में सक्षम होंगे और देश के विकास मे काम आने वाली हर चुनौती को हल भी करेंगे, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी, परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सामने अनेक समस्याएँ आई। इनमें अस्पृश्यता, निर्धनता, बेरोजगारी, मूल्यवृद्दि, भुखमरी और आतंकवाद की समस्याएँ आई। इनमें अस्पृश्यता, निर्धनता, बेरोजगारी, मूल्यवृद्दि, भुखमरी और आतंकवाद की समस्याएँ तो प्रमुख थी ही लेकिन इन सभी से पृथक एक समस्या भ्रष्ट्राचार की भी सामने आई जिसे हम समय पर पहचान नहीं पाये और सभी समस्याओं में से इसने ही सबसे ज्यादा भारत राष्ट्र को प्रभावित किया। यह समस्या वर्तमान में द्रोपदी के चीर की तरह से तेजी से बढ़ती जा रही है।

2. भ्रष्टाचार का अर्थ –

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आखिर भ्रष्टाचार कहते किसे हैं ? वस्तुतः यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है :– भ्रष्ट तथा आचार, अर्थात – भ्रष्ट आचरण। ऐसा आचरण जो नैतिक, सामाजिक मूल्यों, सीमित नियमों और विधिक दृष्टि से उचित न हो। जब कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए निजी लाभ के लिये अथवा अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिये कार्य करता है तो यह भ्रष्टाचार है।मानव जाति में रहने के लिए मानव में विशिष्ट गुण होते हैं जिन्हें सार्वभौमिक नैतिक गुण कहते हैं। जैसे– सत्य, प्रेम, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, दया आदि गुणों को धारण करना सदाचार कहलाता है अर्थात् अनैतिक आचरण ही भ्रष्टाचार होता है। कई बार यह ऐसा आभास देता है मानो आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार का पर्याय है। भाई–भतीजावाद, बेईमानी, रिश्वतखोरी, गुटबंदी एवं छल–कपट, लोभ इत्यादि भ्रष्टाचार के प्रमुख आयाम हैं। समाज और

देश में इसकी जड़ें इतनी गहराई में फैली हुई हैं कि इसका उन्मूलन कई बार असम्भव लगता है। इसकी व्यापकता व समाज में इसकी स्वीकार्यता भयावह स्तर तक है। इस दानव से मानव जाति को छुटकारा पाना जरूरी है। परन्तु आज हम भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में इस प्रकार फंस गये हैं कि इससे बाहर आने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। स्वार्थ लिप्सा तथा निजी हित भ्रष्टाचार की जननी तथा भौतिक ऐश्वर्य इसका पिता है। हालात यह हैं कि शिक्षा मंदिर भी इसके जाल से अछूते नहीं रहे हैं।

3. भ्रष्टाचार के प्रकारः–

समय बदला तो भ्रष्टाचार के रूप भी बदले और साथ ही भ्रष्टाचार की परिभाषा विस्तृत हो गई, पहले केवल आर्थिक भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानते थे। परन्तु आज भ्रष्टाचार के कई रूप हैं जैसे–

• आर्थिक भ्रष्टाचार • नैतिक भ्रष्टाचार • राजनीतिक भ्रष्टाचार • न्यायिक भ्रष्टाचार

• सामाजिक भ्रष्टाचार • सांस्कृतिक भ्रष्टाचार

आर्थिक भ्रष्टाचारः– गलत कार्य करके रूपये कमाना आर्थिक भ्रष्टाचार कहलाता है क्योंकि ये संसार ही रूपयों पर चलता है। हमारा राशन, पढ़ाई, सुख–सुविधा इत्यादि।

न्यायिक भ्रष्टाचारः– न्याय मिलने में होने वाली जानलेवा देरी न्यायिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है अर्थात न्यायिक व्यवस्था भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं रह गई। एक आम व्यक्ति न्याय पाने में अपनी सारी धन सम्पत्ति यहाँ तक कि अपनी उम्र गवाँ देते हैं, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं, गुंडों को पुलिस से डरना चाहिए लेकिन हालत ऐसे हैं एक निर्दोष व्यक्ति पुलिस से डरता है।

राजनैतिक भ्रष्टाचार :– व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य या देश को मध्यावधि चुनाव में झोंकना राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

जब मतदान होता है और सभी लोगों को मतदान देना होता है। तब बड़े–बड़े नेता आम जनता से बहुत से वायदे करती है लेकिन जब मतदान (Election) खत्म हो जाते हैं और कोई भी नेता जीतता है तो वह बाद में जनता को भूल जाता है।

नैतिक भ्रष्टाचार :– आम लोगों का इमान जागना जरूरी है। आज नेताओं के आर्थिक भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले खुद नैतिक रूप से भ्रष्ट होते है।

सामाजिक भ्रष्टाचारः– इसमे कुप्रथाएं आती हैं जैसे – बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि इनकी शुरूआत समाज ने की है।

सांस्कृतिक भ्रष्टाचार :– युवाओं को गलत सांस्कृतिक पाठ पढ़ाना सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है।

4. भ्रष्टाचार के कारण :–

(1) असंतोष :– जब किसी को अभाव के कारण कष्ट होता है वह भ्रष्ट आचरण के लिए विवश हो जाता है।

(2) स्वार्थ और असमानता :– असमानता, आर्थिक, सामाजिक या समान पद – प्रतिष्ठा के कारण भी अपने आपको भ्रष्ट बना लेता है। हीनता और ईर्ष्या की भावना से शिकार हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए विवश हो जाता है। साथ ही रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को जन्म देती है।

(3) आज प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख–सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है और रातों रात अमीर बनने के सपने देखता है।

(4) राजनेता भी गद्दी पाने के लिए भ्रष्टाचार की ही नींव मजबूत करते है।

(5) सरकारी नौकरी वाले भी वहाँ नौकरी करना चाहते हैं जहाँ आमदनी अधिक हो, इस हेतु वे पहले ही बड़े अफसर को रिश्वत देकर वही बदली करवाना चाहते है।

(6) आराम तलब सरकारी नौकरी पाने के लिए भ्रष्टाचार का ही सहारा लिया जाता है।

(7) महँगाई के कारण तथा गरीबी के कारण भ्रष्टाचार पनप रहा है।

(8) मध्यमवर्गीय परिवार भी अमीर लोगों के बीच पहुँचना चाहता है।

(9) देश में जनसंख्या वृद्धि प्रत्येक समस्या की बीमारी है अर्थात् जनसंख्या बढ़ने से देश में उत्पादन कम हो जाता है।

(10) व्यापारी वर्ग भी सम्पत्ति कर, आयकर, वाणिज्य कर आदि से बचने के लिए मिलावट खोरी और कालाबाजारी करते हैं।

एक ओर ईमानदार अफसर यथा समय अपमानित होकर काम करते हैं जबकि दूसरी ओर भ्रष्टाचारी अफसर करोड़ों, अरबों की सम्पत्ति इकट्ठी कर शान शौकत का जीवन जी रहे हैं।

5. भ्रष्टाचार का कुप्रभावः–

भ्रष्टाचार के कारण आज हमारे देश में राष्ट्रीय चरित्र तथा सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इससे सामाजिक जीवन में नैतिक आदर्शो का लोप हो रहा है। राजनीति में सबसे अधिक भ्रष्टाचार पनप रहा है। जब नेता ही भ्रष्ट आचरण पर उतर आते हैं, भ्रष्ट तरीके अपनाते है और जन–सेवा के नाम पर अपने ही परिवार का स्वार्थ साधते हैं। हर काम मे दलाली, कमीशन व रिश्वत लेकर जनता के सामने सफेदपोश बनने की चेष्टा करना तथा उनकी देखा देखी सरकारी कर्मचारी, अफसर और जनता भी वैसा ही आचरण करने लगे है। भ्रष्टाचार की खातिर झूठ बोलना, मिलावट करना, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी आदि सब कुछ जायज हो गया है और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। आज सारे भारत में भ्रष्टाचार रूपी असाध्य रोग फैल गया है। इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है।

6. भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय –

- **मूल्यपरक स्कूली शिक्षा**– स्कूली शिक्षा का एक उद्वेश्य उच्च गुणवत्ता के नागरिकों का निर्माण होना चाहिये और इस हेतु स्कूली शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिये। किसी भी राष्ट्र की गुणवत्ता वस्तुतः उसके नागरिकों की गुणवत्ता की होती है। ऐसे में जब नागरिक ऊँचे चरित्र के होंगे तो उनका आचरण भी उत्तम होगा न कि भ्रष्ट।
- **नैतिक मूल्य**– नागरिक जीवन में नैतिक शिक्षा व नैतिक मूल्यों का पालन किया जाए। संविधान में प्रदत्त मूल कर्त्तव्यों की पालना हेतु सभी नागरिकों को प्रोत्साहित किया जावे।
- **सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्भाषित करना**– भौतिकवादी संस्कृति का अंधानुकरण छोड़कर नैतिकता और सादगीपूर्ण जीवन जिया जाए।
- **कठोर दण्ड की व्यवस्था**– इसके लिये सुदृढ न्यायिक प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार के दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाना सुनिश्चित करना होगा जिससे

अपराधियों में भय का वातावरण बन सके तथा आम जनता में शासन के विश्वास की बहाली हो सके तथा भ्रष्ट लोगों को यह संदेश मिल सके कि यदि उनका आचरण नहीं सुधरा तो न्याय प्रणाली उन्हें उचित दण्ड देगी।

- **शासन मे पारदर्शिता**– बड़े अधिकारियों और राजनेताओं की सारी सम्पत्ति और साधनों का पूरी तरह से खुलासा किया जाए।
- **जनान्दोलन**– अन्ना हजारे जैसे समाज सुधारकों द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए चलाये जाने वाले आन्दोलनों मे जन सहभागिता हो। कुछ गैरसरकारी संगठन इस हेतु गम्भीर प्रयास कर रहे हैं जो सराहनीय हैं पर जागरूकता का पैमाना अभी उतना व्यापक नहीं है जितना परिहार्य है।
- **इच्छा शक्ति**– प्रत्येक व्यक्ति यह दृढ़ संकल्प कर ले कि न तो किसी काम के लिए रिश्वत देगा और न ही लेगा।
- **सूचना के अधिकार का प्रयोग**– सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल रहा है। जहां संदेह हो वहां सूचना के अधिकार के प्रयोग द्वारा नौकरशाही को सही व नियमानुसार कार्य करने हेतु बाध्य किया जा सकता है।
- **सुलभ व सरल शासन प्रक्रिया**– शासन प्रक्रिया का जटिल होना आम नागरिक को गलत तरीके अपनाने पर मजबूर करता है। इसके सरल करना होगा। शासन प्रणाली की आम नागरिक तक पहुंच सरल करनी होगी।
- **सशक्त चुनाव प्रणाली**– सत्ता प्राप्ति हेतु जिस प्रकार से चुनावों में धन बल का प्रयोग होता है वह भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। यदि चुनावों में धन के अवैध प्रवाह व उपयोग को नियंत्रित कर लिया जावे तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
- **न्याय सबके द्वार**– देश की आबादी का एक बड़ा तबका न्याय से वंचित है। जब न्याय के द्वार बंद हो जावें और न्याय सुलभ न हो अथवा समय पर न हो तो नागरिक विधि विरूद्व तरीके अपनाकर अपना कार्य करवाता है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न हो और समय पर सभी को न्याय मिले।

7. उपसंहार –

भ्रष्टाचार यद्यपि सर्वव्यापी प्रतीत हो रहा है तथापि इस पर नियन्त्रण असम्भव नहीं है। भ्रष्टाचार के विरूद्व संघर्ष में कामयाबी सार्वत्रिक प्रयासों से की जा सकती है। कानून अपराध हो जाने के पश्चात दण्ड की व्यवस्था करता है, पर अपराध कम से कम हों अथवा हो ही नहीं, वो समाज व राष्ट्र वंदनीय होते हैं। हमे समस्त निराशाओं के बावजूद इस वृत्ति पर विजय पाने के प्रयास करने होंगे और प्रयास किये जाते हम देख भी रहे हैं। हमें सर्वदा स्मृति में यह रखना होगा कि निज हित से बडा समाज हित है तथा समाज हित से व्यापक राष्ट्र हित। साथ ही यह भी कि हमें सही मायने में मनुष्य बन कर स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के बारे मे सोचना होगा। एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां कोई न्याय से वंचित नहीं है समाज में बन्धुत्व है और सबकी प्रगति के समान अवसर हैं, साथ ही एक ऐसा भारत राष्ट्र भी बनाना होगा जिसका नागरिक होना गर्व का विषय हो और जिसके नागरिक उच्च नैतिकता और मनुष्यता के लिये जाने जाते हों।

देश के विकास दर को है बढ़ाना

भ्रष्टाचार को जड़ से होगा मिटाना।

महिलाओं के अधिकार

(1) प्रस्तावना :–

'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयशी'
अर्थात् माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान् मानी गई हैं।
'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः'
अर्थात् जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान आदि काल से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। परिवार के संचालन में एवं देश के विकास में भी महिलाओं का योगदान हमेशा रहा है। नारी प्रेम, समर्पण एवं त्याग का प्रतीक है परन्तु वर्तमान में देखने में आ रहा है कि संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार होने पर भी परिवार एवं समाज में महिलाएँ उपेक्षित एवं शोषित हैं। इसके लिए आवश्यकता है कि उन्हें संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण एवं प्रामाणिक जानकारी हो।

(2) महिलाओं के रूप :–

महिलाएं माता, पत्नी, पुत्री, बहू, बहन आदि के रूप में समाज में रह रही है। नारी विवाह के पश्चात अपने पत्नी के कर्तव्य का निर्वहन, मां बनने पर अपने बच्चों का ख्याल, पुत्री, बहू, बहन बनने पर अपने परिवार का ख्याल रखती है। नारी दुर्गा है, लक्ष्मी है तथा काली का अवतार भी है। स्वतंत्रता संग्राम में नारियों के शौर्य की गाथाएं प्रचलित हैं। भारत की प्रधानमंत्री भी एक नारी रह चुकी है। नारी वर्तमान समय में अपने परिवार की समृद्धि के लिए पुरूषों के साथ कदम मिलाकर चल रही है। वास्तव में नारी के अनेक रूप हैं। हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और देश के विकास में नारी के योगदान को समझना चाहिए।

''नारी निन्दा मत करो, नारी गुण की खान।
नारी से उपजें, ध्रुव प्रहलाद समान।''

(3) नारी अधिकारों का वर्तमान स्वरूप–

भारतीय संविधान जनता के माननीय प्रतिनिधियों ने अनुसंधान और विचार–विमर्श द्वारा बनाया है जिसके अनुसार विद्यमान पद्धति में सुधार लाने का प्रयत्न किया गया है। 14 अगस्त 1947 को भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने अपना कार्य 26 नवम्बर 1949 को पूर्ण किया और इसी तारीख को संविधान सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए तथा उसे पारित व घोषित किया गया।

नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधी उपबन्धों को तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबन्धों को तुरन्त लागू किया गया तथा शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत हुआ।

भारत के इस संविधान में नारी–पुरूष, अमीर–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित सभी को समान सुरक्षा प्रदान की गई है स्त्री पुरूष सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, समान अवसर देने का आश्वासन दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय समान श्रेणी व स्तर देने की

बात कही गई है। चाहे वह नारी हो या पुरूष समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना में "हम भारत के लोग............................इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" यह शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि संविधान का आधार उन लोगों (स्त्री और पुरूष) का समान अधिकार है।

(4) भारतीय संविधान में नारी अधिकारों की व्यवस्था–

हमारे देश का संविधान हमारी सर्वोच्च विधि है और इसके विभिन्न अनुच्छेदों में नारी अधिकारों की बात कही गई है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:–

अनुच्छेद 14– "राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नही करेगा।"

अतः इस अनुच्छेद के द्वारा कानून के सामने समानता और कानून द्वारा समानता की घोषणा की गई है, चाहे वह नारी हो या पुरूष।

अनुच्छेद 15– "राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के बीच कोई विभेद नही करेगा।" अर्थात हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि पुरूष एवं महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किये जायें। इसके लिए अनुच्छेद 15 (3) में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार की ओर से महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष सुविधा या सुरक्षा प्रदान की जाती है तो उसे संविधान के विरूद्ध नही माना जाएगा अर्थात् संविधान निर्माताओं का यह मानना है कि नारियों की स्वाभाविक प्रकृति ऐसी होती है जिसके कारण उन्हे विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है।

अनुच्छेद 16– "लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता" संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म–स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उनसे विभेद किया जायेगा। अर्थात् नारी को भी पुरूष के समान अवसर प्रदान किया गया है। इसी अनुच्छेद के अनुसार समान कार्य हेतु समान वेतन का सि्द्वान्त लागू होता है।

अनुच्छेद 23–24– "शोषण के विरूद्ध अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार जबरदस्ती काम करवाने पर रोक लगाई गई है। यह मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। यह सर्वविदित है कि भारतीय समाज में नारी का क्रय–विक्रय और बेगार सदियों से समाज का अंग बनकर चले आ रहे हैं। इस पर संविधान के अनुच्छेद 23–24 के द्वारा काफी सीमा तक रोक लगाई गई है।

संविधान के भाग 4 में (अनुच्छेद 36–51) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी स्त्री–पुरूष के रोजगार में समानता स्थापित करने का प्रयास किया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इन आदर्शों को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा समय–समय पर कानून बनाये जायें। संविधान के भाग 4 (क), जो कि मूल कर्तव्यों के बारे में है, में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी संस्कृति की

गौरवशाली परम्परा के महत्व को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, जो कि स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हों।

अनुच्छेद 39 –

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन–साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेंद्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद–42

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद–43

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद–44

संविधान में अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए राज्य नीति के एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में प्रावधान किया गया है जिसमें कहा गया है कि "राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता के लिए नागरिकों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद–325

निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।

संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान–मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक–नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन–क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक–नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा।

5. नारी अधिकार एवं व्यक्तिगत कानून

समाज में जिन नियमों के आधार पर उसके रीति–रिवाज, पारिवारिक संबंध स्थापित होते हैं, इन संबंधो को निश्चित करने वाले कानूनों को व्यक्तिगत कानून कहा जाता है। प्रारंभ में कानून सदियों से चले आ रहे रीति–रिवाजों या परम्पराओं द्वारा निश्चित होते थे, लेकिन बाद में इन्हें सरकार से स्वीकृति मिली और व्यक्तिगत कानून कहलाये तथा पारिवारिक व सामाजिक कार्य इन्ही नियमों के अनुसार मान्य हैं।

6. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 :–

पुत्रियाँ – पुत्री को उतना ही भाग आवंटित किया जाएगा जितना की पुत्र को।

- विवाहित पुत्री को अपने माता–पिता के घर आने पर रहने का अधिकार है किन्तु उसके भरण पोषण का दायित्व उसके माता–पिता का नहीं है, वह भार उसके पति पर है। यदि विवाहित पुत्री तलाकशुदा या विधवा हो जाती है तो उसे रिहायश का पूर्ण अधिकार है।

पत्नि

- पत्नी का अपनी सम्पति पर पूरा हक है जब तक कि वह उसे आंशिक या पूरी तरह से किसी को उपहार में नहीं देती, उसकी आस्तियों पर उसका पूरा स्वामित्व है, चाहे वे आस्तियाँ उसकी स्वयं की अर्जित हों या विरासत में मिली हों।
- उसके भरण–पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की है, यदि पति संयुक्त परिवार में है तो जिम्मेदारी उस परिवार की है।

माताएँ

- माँ उन बच्चों से भरण–पोषण की हकदार है जो आश्रित नहीं है। वह प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी भी है। यदि किसी संयुक्त परिवार की सम्पति का पुत्र एवं पुत्रियों के बीच विभाजन होता है तो विधवा माँ को बराबर हिस्सा पाने का अधिकार है।

7. मुस्लिम विधि के अनुसार :–

पुत्रियाँ–

- मुस्लिम उत्तराधिकार में पुत्री का भाग पुत्र के भाग का आधा होता है।
- जब तक पुत्रियों का विवाह नही हो जाता, उन्हें अपने माता–पिता के घर रहने का एवं भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है।

पत्नि–

- यदि पति–पत्नी के बच्चे हैं, तो पत्नी को 1/8 भाग मिलेगा और यदि कोई बच्चा नहीं है तो 1/4 भाग मिलेगा। यदि एक से अधिक पत्नी हैं, तो उसे 1/16 भाग मिलेगा। उन परिस्थितियों में जहाँ निर्धारित सम्पति का कोई भागीदार नहीं है तो पत्नी अधिक राशि की हकदार हो सकती है।

माताएँ–

- तलाकशुदा या विधवा स्त्री अपने बच्चों से भरणपोषण प्राप्त करने की हकदार है।
- माता अपने मृत बच्चे की जायदाद का 1/6 भाग पाने की हकदार है।

8. ईसाई कानून के अनुसार :–

पुत्रियाँ

- पुत्री अपने माता–पिता की जायदाद में किसी भी अन्य भाई या बहन के बराबर की हिस्सेदार है।

पत्नि

- वह अपने पति से भरण–पोषण की हकदार है लेकिन ऐसा न कर पाने पर यह बात स्वंय में तलाक का आधार नहीं हैं।
- पति की मृत्यु के बाद वह उसकी 1/3 सम्पत्ति की हकदार है एवं शेष सम्पति का बच्चों में बंटवारा होगा।

माताएँ

- वह अपने बच्चों से भरण–पोषण की हकदार नहीं है। यदि उसके बच्चों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह 1/4 भाग की हकदार होगी।

9. हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरणपोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार :–

महिलाओं को यह अधिकार है कि वह बच्चा गोद ले सकती या दे सकती है यदि वह

- स्वस्थ चित्त हो
- अविवाहित हो या व्यस्क हो
- विवाहित हो लेकिन तलाकशुदा हो या पति की मृत्यु हो गई हो या पति का चित्त विकृत हो गया हो या पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के तहत महिलाओं के अधिकार :–

यदि किसी महिला के साथ उसका पति या पति का रिश्तेदार क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश करता है या क्रूरता पूर्वक व्यवहार करता है तो ऐसी महिला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 (ए) के तहत पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवा सकती है। यदि पुलिस उचित कार्यवाही नहीं करती है तो वह स्त्री न्यायालय में परिवाद पेश कर सकती है।

क्रूरता का अर्थ, जानबूझकर किये जाने वाले आचरण से है, जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष की जेल व जुर्माने से दंडित किया जाता है।

11. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1995 के अनुसार :–

- महिलाएँ अपने पति से तलाक ले सकती हैं।
- यदि कोई स्त्री जिसका विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले ही कर दिया गया था तो उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वह 15 वर्ष की आयु के बाद एवं 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अपने विवाह को खण्डित करवा सकती है एवं न्यायालय से इसकी डिक्री प्राप्त कर सकती है।

12.स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास करने पर भा.द.सं. की धारा 354 आई.पी.सी. के अधीन महिलाओ के अधिकार :–

यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की कोशिश करता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है या उसके साथ बल प्रयोग करता है तो उस व्यक्ति को दो वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

इसके लिए महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है या कोर्ट में परिवाद पेश कर सकती है। भारतीय अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि किसी भी बलात्कार या शोषण की शिकार स्त्री से उसके चरित्र के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही के दौरान प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। न्यायालय के द्वारा ऐसे केसों की ''केमरा ट्रायल'' की जाती है।

'' महिलाएँ है जीवन का आधार ।
उनको मिलना चाहिए पूरा अधिकार ।।''

13. समाज उत्थान में नारी की भूमिका

शिक्षित नारी का समाज में स्थान–

शिक्षित नारी अपना बौद्धिक विकास और भौतिक व्यक्तित्व का निर्माण करने में सक्षम है। गृहिणी के रूप में वह अपने घर–परिवार का संचालन कुशलता से कर सकती है। वह अपनी सन्तान को वीरता, त्याग, उदारता, कर्मठता, सदाचार, अनुशासन आदि के ढाँचें में आसानी से ढाल सकती है। सुशिक्षित नारी माँ के रूप में श्रेष्ठ गुरू, पत्नी के रूप में आदर्श गृहिणी, बहिन के रूप में स्नेही मित्र और मार्गदर्शिका होती है। यदि नारी शिक्षित है तो वह समाज–सेविका, वकील, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, सलाहकार, उद्यमी आदि किसी भी रूप में सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर सकती है। वह कवयित्री, लेखिका, प्रशासिका और साथ ही श्रेष्ठ गृहिणी भी हो सकती है तथा देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सम्मानित राजनीतिज्ञ बनकर अपने समाज व देश का अभ्युदय करने में अतीव कल्याणकारिणी और सहयोगिनी बन सकती है।

समाज–निर्माण में नारी की भूमिका–

नारी को पुरूष का आधा अंग माना जाता है, परन्तु समाज में उसे पुरूष के समान सभी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हमारे देश में अब नारी के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब नारी ग्राम–पंचायत से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व करती है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, साक्षरता, सर्वशिक्षा अभियान आदि के प्रचलन से गाँवों की नारी में भी जागृति आ रही है। इस तरह अब नारी अपने व्यवहार तथा परम्परागत संस्कारों से समाज को नयी दिशा देने में सक्षम है। वह अपने अधिकारों का स्वतन्त्रता से

उपयोग कर सकती है तथा पुरुष वर्ग की प्रेरणा बनकर मंगलमय सामाजिक जीवन का निर्माण कर सकती है। तथा समाज का रहन–सहन, आचरण, संस्कार, धार्मिक आस्था, आदर्श आदि सभी का प्रसार कर सामाजिक जीवन के निर्माण में नारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

वर्तमान युग में नारी–

उन्नीसवीं शताब्दी में ज्ञान–विज्ञान का प्रचार बढ़ा। भारतीय समाज सुधारकों ने नारी की हीन अवस्था पर ध्यान दिया। उन्होंने देश के सुधार के लिए सर्वप्रथम नारी की दशा में सुधार आवश्यक बतलाया। स्त्री शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ। वर्तमान युग में हम नारी के दो रूप देखते हैं, एक तो वे नारियां है जो देहातों में रहती हैं, अशिक्षित हैं व दूसरी शहरों में रहने वाली शिक्षित महिलाएँ है। देहातों की अशिक्षित नारी में प्राचीन नारी का रूप अभी देखा जा सकता है। शिक्षा के अभाव में अभी भी वह सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त है। शहरों की तथाकथित सभ्य नारियाँ फैशनपरस्ती एवं स्वेच्छाचरण को ही सभ्यता समझने लगी हैं। पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण करने वाली आधुनिक नारी अपने प्राचीन रूप से बिल्कुल भिन्न हो गई है।

शिक्षित नारी से सुख–समृद्धि का प्रसार–

प्राचीन काल में हमारे देश में नारी की पूजा होती थी, क्योंकि उस काल में नारियाँ परम्परागत शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक कल्याण में सहयोगिनी रहती थी। वस्तुतः इस संसार में नारी के बिना पुरूष के सभी कार्य एकांगी तथा अधूरे हैं। इसी कारण नारी को पुरूष की अर्द्धांगिनी और घर–परिवार की लक्ष्मी कहा जाता है। शिक्षित नारी ही परिवार के सदस्यों में आत्मीयता तथा एकता की भावना जाग्रत करती है। वह व्यवहार में सदा सन्तुलन बनाये रखती है। इस प्रकार शिक्षित नारी से घर–परिवार का वातावरण सुख–सम्पन्नता से परिपूर्ण हो जाता है और उसे समाज में भी उचित स्थान प्राप्त होता है।

जिस राष्ट्र में नारियाँ शिक्षित होती है, वह राष्ट्र उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है, इसी कारण 'शिक्षित नारी को 'सुख–समृद्धिकारी' कहा गया है।

एक खण्डहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी,
''औरत'' की पीड़ गूंगी ही सही, गाती तो है।
एक चादर साँझ ने सारे नगर पर डाल दी,
ठस अंधेरे की सड़क, उस भोर तक जाती तो है।।

महिलाओं के साथ घटित होने वाले अन्य अत्याचारों के बारे में कानून

बलात्कार

कानून कैसे मदद कर सकता है :–

- कोई भी महिला अपने साथ हुए अपराध की शिकायत पुलिस थाने में कर सकती है। वह शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में न हो, तो उसके सगे संबंधी शिकायत कर सकते हैं।
- जिस महिला का बलात्कार हुआ है, उसकी पहचान कानूनन गुप्त रखी जाती है।

- आरोपी पर मुकदमा चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के अभियोजन विभाग द्वारा आरोपी पर अभियोग चलाया जायेगा।
- ऐसे मामलों की सुनवाई बंद कमरे में होती है।

पीड़ित महिला को क्या–क्या सावधानी बरतनी चाहिए ?

परिवार वालों या सहेली को बताएं :– बलात्कार से पीड़ित महिला को घटना के बारे में अपने परिवार वालों या सहेली को तुरन्त बताना चाहिए।

जब तक डॉक्टरी जांच नहीं हो जाती, जहां तक संभव हो, उसे न तो नहाना चाहिए और न ही घटना के समय पहने कपड़ों को धोना चाहिए।

अपराधी को सजा दिलवाने के लिए यह जरूरी है कि बलात्कार की घटना की एफ.आई.आर. जल्दी से जल्दी करवाई जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह और अन्य 1996 और साक्षी बनाम भारत सरकार 2004 केस में महिलाओं, खास कर छोटी लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार और अन्य यौनिक हिंसा के मामलों में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश।

1. पुरूष द्वारा महिला के साथ बलात्कार किए जाने पर महिला की गोपनीयता और आत्म–सम्मान के साथ–साथ, उसके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अदालत को बलात्कार के सभी मामलों को अति संवेदनशीलता से देखना होगा :–
2. यदि महिला यौन व्यवहार की आदी भी है तो भी अदालत द्वारा उसे बुरे चरित्र की महिला नहीं कहा जाएगा। उस महिला को भी अधिकार है कि वह पुरूष को अपने साथ यौन सम्बन्ध बनाने के लिए मना कर सके।
3. प्रति परीक्षा के दौरान अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि दूसरे पक्ष द्वारा पूछे गए सवाल महिला को अपमानित नहीं करें।
4. महिला के बलात्कार एवं अन्य यौनिक हिंसा आत्म–सम्मान और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए मुकदमा बंद कमरे में चलेगा। इसमें आम जनता को अदालत में जाने की इजाजत नहीं होगी।
5. जहां तक सम्भव हो, इन केसों की सुनवाई महिला जज के सामने होगी।
6. जहां तक सम्भव हो अदालत को अपने आदेश में महिला का नाम नहीं बताना होगा।
7. बच्चों के साथ हुई यौनिक हिंसा एवं बलात्कार के केसों की सुनवाई के दौरान स्क्रीन या कोई अन्य इंतजाम किया जाएगा, जिसमें कि पीड़ित या गवाह अपराधी का चेहरा या शरीर नहीं देख पाए।
8. अपराधी की तरफ से पूछे जाने वाले प्रति–परीक्षा के प्रश्न वारदात से संबंधित होने चाहिए। यह प्रश्न बच्ची से प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछे जाएंगे। यह सवाल लिखित रूप में कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के द्वारा बच्ची और गवाहों से साफ और सरल भाषा में पूछेंगे।
9. कोर्ट में बयान देते समय जब जरूरत पड़े बच्ची को आराम देना होगा।

अपहरण

- किसी नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, को उसके संरक्षक की आज्ञा के बिना कहीं ले जाना अपहरण का अपराध है। इसके लिए अपराधी को सात साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।
- किसी लड़की को वेश्या का काम करवाने के लिए बेचना कानूनी अपराध है जिसकी सजा है दस साल तक की कैद और जुर्माना।
- किसी स्त्री को विवाह करने के लिए विवश करने या भ्रष्ट करने के लिए व्यवहृत करने का अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा गम्भीर अपराध है।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (पीटा एक्ट)

अक्सर सुनने में आता है कि कुछ लोग, बच्चों और महिलाओं को नौकरी या कोई और लालच देकर भगा कर ले जाते है, फिर उनसे वेश्यावृति करवाते हैं। यह अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी अपराध है।

1. किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृति के मकसद से भगा कर ले जाना या बेचना कानूनी अपराध है और इसके लिए अपराधी को 3 से 7 साल की सजा और 2000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है।
2. किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध वेश्यावृति के मकसद से भगा कर ले जाया जाता है या फिर बेचा जाता है तो अपराधी को 7 से 14 साल की सजा और जुर्माना या दोनों होता है।
3. किसी बच्चे का जिसकी उम्र 16 साल से कम है अगर वेश्यावृति के लिए भगाया व बेचा जाता है तो अपराधी को 7 साल या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।

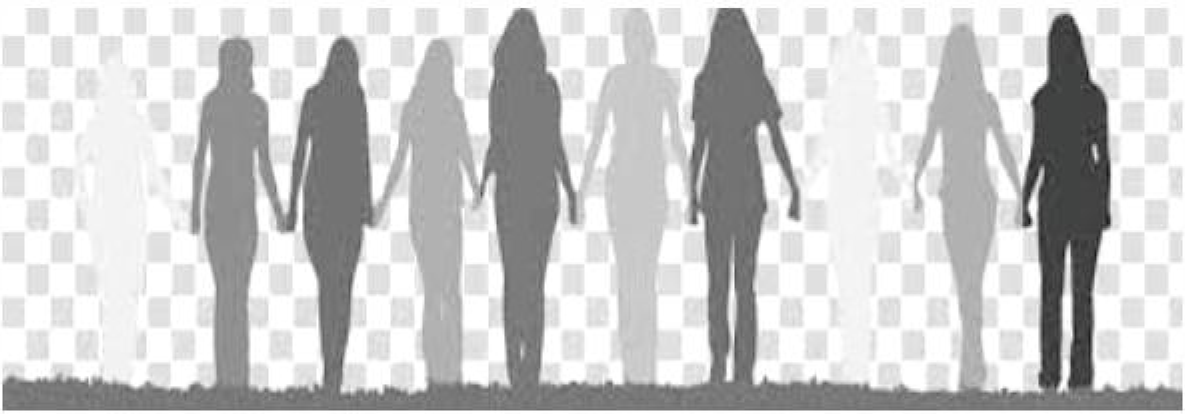

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता कौन है : जो व्यक्ति खाद्य पदार्थ कपड़ा, चिकित्सा, यातायात, बिजली पानी, बैंक, आवास, दूरभाष, बीमा, मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपयोग करता है वह उपभोक्ता है।

धारा 2 (डी) : वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो उसे खरीदता है तथा उसका मूल्य अदा करता है। वस्तु की संपूर्ण कीमत देने वाला या उधार खरीदने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता माना जाएगा।

उपभोक्ताओं के क्या अधिकार है:–

1. सुरक्षा का अधिकार:– ऐसे माल के क्रय विक्रय के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार जो जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो।
2. सूचित किए जाने का अधिकार:– अनुचित व्यापार से उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्य के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार।
3. चयन का अधिकार:– जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर माल की विभिन्न किस्मों को सुलभ कराए जाने का अधिकार।
4. सुनवाई का अधिकार:– खराब वस्तु प्राप्त होने पर उसे वापिस कर उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार।
5. हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार:– अनुचित व्यापारिक संव्यवहार या उपभोक्ताओं के अनुचित शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार।
6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार:– आधुनिक जानकार उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान तथा क्षमता का अधिकार।

शिकायत कौन कर सकता है:–

1. उपभोक्ता
2. कोई भी स्वैच्छिक पंजीकृत संगठन
3. केंद्र सरकार
4. राज्य सरकार

शिकायत कहां करें:–

- उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र, सरल तरीके से तथा कम खर्च में दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर जिला मंचों की स्थापना करने की व्यवस्था है। जिला फोरम का गठन जिला स्तर पर किया गया है।
- यदि माल या सेवाओं का मूल्य तथा हर्जाने की मांगी गई रकम बीस लाख रुपए से कम है, तो शिकायत जिला फोरम में होगी।
- यदि माल या सेवाओं का मूल्य एवं हर्जाने की रकम 20 लाख रूपये से एक करोड़ रुपए के मध्य है तो शिकायत राज्य आयोग में होगी।
- यदि एक करोड़ रूपये से ज्यादा राशि हो तो शिकायत राष्ट्रीय आयोग में होगी।

शिकायत पत्र में क्या लिखा जाएगा:–

1. शिकायतकर्ता का नाम, वर्णन तथा पता 2. विरोधी पक्षकार का नाम, वर्णन और पता जहां तक उन्हें मालूम किया जा सके, 3. शिकायत से संबंधित तथ्य तथा वे कब व कहां पैदा हुए, 4. शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, यदि कोई हो, 5. वह राहत जो शिकायतकर्ता चाहता है, 6. शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता के या उसके एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए।

चेक डिसऑनर होने पर क्या करें ?

चेक डिसऑनर होने संबंधी कानूनी प्रावधान नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेनट एक्ट 1881 की धारा 138 में है। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी ऋण किसी विधिक दायित्व के भुगतान के लिए चेक काटकर देता है और वह चेक बिना भुगतान के लौट आता है तो चेक काटने वाला व्यक्ति नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है।

इस प्रावधान के अनुसार यदि आपका चेक बिना भुगतान के बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है तो आप बैंक द्वारा चेक इसकी सूचना प्राप्त होने के एक माह के अंदर उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया है इसकी लिखित सूचना एडवोकेट द्वारा भिजवाए सूचना प्राप्त होने के बाद चेक देने वाला व्यक्ति यदि 15 दिन की अवधि में चेक में निर्देशित राशि का भुगतान नहीं करता है या नोटिस का जवाब नहीं देता या किसी भी प्रकार से चैक की राशि का समायोजन नहीं कर सकता है तो ना देने के 15 दिन पश्चात 1 माह की अवधि में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष फौजदारी परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं अंकित तारीख से 3 माह की अवधि में अभी भी उसको बैंक में प्रस्तुत किया जा सकता है

धारा 138 एन आई एक्ट के अनुसार न्यायालय यह मानेगा कि जब कोई व्यक्ति चेक काट कर किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो इसका अर्थ है कि इसका चेक किसी ऋण की अदायगी के वास्ते दिया गया है यदि चेक दान या गिफ्ट के लिए दिया गया है और वह चेक बिना भुगतान के वापस आ जाता है तो वह व्यक्ति एन आई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दोषी नहीं माना जाएगा।

विद्युत चोरी की रोकथाम

कई लोग अपने घरों में या तो बिजली का मीटर लगाते ही नहीं है या फिर मीटर को क्षतिग्रस्त अथवा विकृत कर देते हैं। कई लोग बिजली की सीधी लाइनों से विद्युत कनेक्शन भी ले लेते हैं। इससे राष्ट्र को राजस्व की भारी हानि होती है। यह नैतिक अपराध को रोकने के लिए सन 2003 में विद्युत अधिनियम पारित किया गया हैं।

प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अपने घरों तथा व्यावसायिक स्थलों पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर इसका सही उपयोग करें तथा मीटर को सही हालत में रखे।

अपराध एवं दण्ड–

अधिनियम के तहत निम्नांकित कार्यों को दंडनीय अपराध माना गया है–

1. मीटर को दूषित करना
2. दूसरा मीटर लगाना या उसका उपयोग करना
3. विद्युत मीटर, औजार उपकरण या तार आदि को क्षतिग्रस्त करना
4. दूषित मीटर के माध्यम से विद्युत का प्रयोग करना
5. विद्युत का प्रयोग भिन्न प्रयोजनों के लिए करना
6. विद्युत लाइनों और सामग्रियों की चोरी करना
7. ऐसी चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करना आदि

विद्युत लाइनों और सामग्रियों की चोरी करने के लिए न्यूनतम छः माह एवं अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं न्यूनतम दस हजार रूपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई है।

इसी प्रकार चुराई हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिए तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

अन्य अपराधों के लिए तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

अपराधों का विचारण– विद्युत संबंधी अपराधों का विचारण एक विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा, जिसका पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर का व्यक्ति हो सकेगा।

अपराधों का संज्ञेय एवं अजमानती होना– विद्युत संबंधी अपराध संज्ञेय अपराध होंगे अर्थात् इनमें पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को वॉरन्ट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा।

साथ ही ऐसे अपराध अपमानती होंगे।

राजीनामा– अधिनियम की धारा 152 में विद्युत संबंधी अपराधों को राजीनामें योग्य बनाया गया है अर्थात् इसमें अभियुक्त द्वारा विभाग के साथ राजीनामा किया जा सकता है।

हमारे अधिकार – पुलिस के साथ

जब हम पुलिस के सम्पर्क में आते हैं तो निम्न जरूरी बातें याद रखनी चाहिए–

- हमारे देश का कानून सब पर लागू होता है।
- पुलिस हम नागरिकों और कानून की रक्षा के लिए है।
- पुलिस को कुछ विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी मनमानी करें, उन्हें भी कानून के मुताबिक कार्य करना है।
- अगर पुलिस किसी से दुर्व्यवहार करती है तो पुलिस को भी दण्डित किया जा सकता है।
- यह निहायत जरूरी है कि नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी हो और वे उनकी माँग करें। उनको अपने हक बलपूर्वक जताने चाहिए और उनका दावा करना चाहिए। अगर जरूरत हो तो उन्हें बड़े से बड़े अधिकारी या अदालत के पास जाने से घबराना नहीं चाहिए।
- पुलिस की पूर्ण सहायता लेने के लिए नागरिकों को भी पुलिस को पूरा सहयोग देना चाहिए, इस हेतु उन्हें कुछ बुनियादी अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है।

गिरफ्तारी

गिरफ्तारी से संबंधित निम्न अधिकारों की जानकारी जरूरी हैं–

- गिरफ्तारी के समय पुलिस को यह बताना होगा कि आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
- सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है कि उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, यह भी बताना आवश्यक है कि उस पर किस अपराध का आरोप है।
- पुलिस को गिरफ्तारी और जिस स्थान पर आरोपी को रखा गया है, उसकी सूचना उसके मित्र या संबंधी को देनी होगी।
- कुछ अपराधों के लिए बिना वॉरंट के ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि गिरफ्तारी के समय पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को वॉरंट दिखाए।
- आरोपी कानूनी सहायता ले सकते हैं, जैसे कि किसी वकील को बुलाकर उसकी सलाह लेना। आम तौर से पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति की इस माँग को मंजूरी दे देती है, बशर्ते वकील को थोड़े समय में बुलाया जा सके।
- गिरफ्तारी के समय जोर, जबर्दस्ती करना गैर–कानूनी है। हिरासत में लेने के लिए जितना कम से कम जोर लगता हो, उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आपको पुलिस हिरासत में दे दे, तो उसे हाथ लगाना भी जायज नहीं है।
- किसी महिला आरोपी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि पुलिस ऐसा करना जरूरी समझे तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का अदेश लेना जरूरी है।
- गिरफ्तारी के समय हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है। हथकड़ी केवल उन व्यक्तियों को लगाई जाती है, जो खतरनाक अपराधी हो या जिनके भागने की घोर

आशंका हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ मजिस्ट्रेट के समाने पेश करने तक हथकड़ी लगाई जा सकती है। उसके बाद, हथकड़ी लगाने के लिए मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी।

- गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अन्दर–अन्दर कोर्ट में पेश करना जरूरी है।
- बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है।

थाने में–

- पुलिस हिरासत में सताना, मारपीट करना या किसी अन्य तरह की यातना देना गंभीर अपराध है।
- थाने में सुरक्षा के लिए पहचान वाले या रिश्तेदारों को पुलिस स्टेशन जाने का हक है। पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें साथ चलने से रोके। अगर पुलिस ऐसा करती है तो इसमें गड़बड़ की आशंका है ओर सचेत रहना चाहिए।
- अगर थाने में, पुलिस हिरासत में बुरा व्यवहार या मारपीट हो तो मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं।
- अगर पुलिस स्टेशन पर कोई मारपीट, बलात्कार इत्यादि हो, तो तुरन्त डॉक्टरी जाँच की मांग करनी चाहिए। सरकारी डॉक्टर जाँच करेगा और चोटों की डॉक्टरी रिपोर्ट देगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट को शिकायत करनी चाहिए। मजिस्ट्रेट भी डॉक्टरी जाँच का आदेश दे सकते है।
- पुलिस स्टेशन में महिला को उस लॉकअप में रखे, जहाँ स्त्रियों को रखा जाता है। अगर ऐसा कोई कमरा वहाँ नहीं है तो जिस पुलिस स्टेशन में ऐसा कमरा है, वहाँ बदली की मांग करनी चाहिए।
- पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस उपस्थित रहे, इस बात की भी मांग करनी चाहिए।

पूछताछ

पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है–

बिना पढ़े या बिना जाने किसी भी कागज पर कभी हस्ताक्षर ना करें, न ही अंगूठा लगाएं। अगर अनपढ़ हो तो किसी और से पढ़ने के लिए कहें, थाने में भी किसी से पढ़ने के लिए कह सकते हैं।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून

जन्म–मृत्यु पंजीकरणः–

- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2000 के अन्तर्गत राज्य में जन्म–मृत्यु पंजीकरण कराना कानूनन अनिवार्य है।

जन्म मृत्यु पंजीकरण कब व कहां?

- प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम मुख्यालय पर जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन कराया जा सकता है।
- जन्म/मृत्यु की सूचना जन्म या मृत्यु होने के 21 दिन के अन्दर देना अनिवार्य है। यह देकर जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- 21 दिन के पश्चात् परन्तु 30 दिन के भीतर सूचना देने पर एक रूपया विलम्ब फीस जमा करवाकर रजिस्ट्रार कार्यालय से जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- 30 दिन से अधिक परन्तु एक वर्ष के भीतर स्थानीय रजिस्ट्रार को सूचना दी जाती है तो उसके लिए निर्धारित प्रारूप में इस आशय का नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र देना होगा।
- एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन स्थानीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ही करवाया जा सकेगा। वह स्थानीय निकाय को ऐसे रजिस्ट्रेशन करने का आदेश देगा तभी जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन होगा।

जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कौनः–

1. जन्म या मृत्यु यदि घर पर होती है तो रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार का मुखिया उत्तरदायी है तथा वह सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार को लिखित में या मौखिक दे सकता है।
2. जन्म या मृत्यु अस्पताल, पुलिस स्टेशन, होटल, धर्मशाला, जेल में होती है तो ऐसी घटना की सूचना देने के लिए उस संस्था के प्रभारी अधिकारी उत्तरदायी है।

क्या आप जानते हैं

1. धारा 151 सी.आर.पी.सी. में पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिससे शांति भंग होने की संभावना हो या जो संज्ञेय अपराध कर सकता हो। देर रात तक सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाए तो पुलिस उसे इस धारा में गिरफ्तार कर 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है।
2. यदि शराब पीकर सड़क पर कोई व्यक्ति दंगा फसाद करें या गिरता पड़ता पाया जाए तो पुलिस एक्ट की धारा 60 में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
3. यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से ध्वनि यंत्र चलाकर शांति भंग करे तो यह अपराध है उसके खिलाफ राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 4/6 में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। उसके लाउडस्पीकर इत्यादि सामान भी जब्त कर लिए जाएंगे।
4. सार्वजनिक स्थानों पर जुआ, सट्आ खेलते हुए पाया जाए तो धारा 13 आर.जी.पी.ओ. में अपराध है। इसमें अधिकतम जुर्माना 100 रूपये है।
5. सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना नगरपालिका अधिनियम 1959 के तहत दंडनीय अपराध है।
6. न्यायालय द्वारा किसी मामले में जमानत पर छूटने पर यदि कोई व्यक्ति शर्तों को भंग करता है तो जमानत मुचलकों की संपूर्ण रकम राजकोष में जब्त हो जाती है। रकम अदायगी न करने पर जमानती को 6 माह की जेल हो सकती है।
7. आईपीसी की धारा 229–ए ने जमानत जब्ती को अपराध घोषित कर दिया है। आरोपी जमानत देने के बाद कोर्ट में नहीं आए और जमानत जब्त हो जाए तो उसे एक वर्ष का कारावास संभव है।

मोटर वाहन से दुर्घटना होने पर क्या करें?

1. मोटर वाहन में बस, ट्रक, कार, जीप, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि यांत्रिक शक्ति से सड़क पर चलने वाले वाहन शामिल हैं।

2. यदि इस प्रकार के मोटर वाहन से वाहन चालक की गलती के कारण टक्कर होने पर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या मृत्यु हो जाती है या उसकी संपत्ति का नुकसान होता है तो वह व्यक्ति या उसका उत्तराधिकारी वाहन के मालिक/चालक/बीमा कंपनी, जिससे वह वाहन बीमाकृत है, से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

3. मोटर वाहन से टक्कर होने पर वाहन के नंबर अवश्य नोट करें व यदि संभव हो तो वाहन के चालक का नाम पता भी उसी समय नोट कर लें।

4. चोटग्रस्त व्यक्ति के तुरंत इलाज की व्यवस्था की जाए व तुरंत निकटतम पुलिस थाने पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। यदि वाहन के नंबर पता नहीं चल पाते हैं तो भी पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जानी चाहिये।

5. यदि ऐसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी और यदि किसी व्यक्ति के चोटें आई हैं तो वह स्वयं, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में अपने परिवार के मृतक या स्वयं के आई चोटों के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है तथा ऐसा प्रार्थना पत्र, जहां दुर्घटना हुई है, वहां या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाला जहां निवास करता हो, वहां प्रस्तुत कर सकता है।

6. उपरोक्त दावा अधिकरण द्वारा अंतरिम राहत के रूप में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में 50,000/– रुपए व स्थाई अपंगता व गंभीर चोट आने की स्थिति में 25,000/– रुपए तुरंत दिलवाए जाते हैं तथा प्रार्थना पत्र तय होने पर प्रार्थी को जो नुकसान व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो, उसका संपूर्ण मुआवजा दिलवाया जाता है।

7. यदि दुर्घटना करने वाले वाहन या वाहन के नंबर पता नहीं चल सकते हैं, तब भी मुआवजा सरकार द्वारा दिलवाया जाता है। इसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट व अनुसंधान पत्रावली की नकल प्राप्त कर के संबंधित तहसीलदार, सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

8. मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रार्थना पत्र पर मात्र 10/– रुपए की कोर्ट फीस लगती है, चाहे क्लेम लाखों रुपए का हो।

9. किसी प्रकार की समस्या आने पर/या विशेष जानकारी के लिए आप राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में संपर्क कर सकते हैं।

10. यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त या आहत व्यक्ति की चिकित्सा किया जाना प्रथम सूचना दर्ज कराए जाने अथवा कानूनी कार्यवाही प्रारंभ किए जाने से पूर्व आवश्यक मानी गई है।

सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण कानून

सार्वजनिक सम्पत्ति जनता के उपयोग में आती है। विद्यालय, चिकित्सालय, विद्युत, पानी टेलीफोन, रेलवे, बसें आदि सार्वजनिक सम्पत्ति हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा और सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति अथवा नुकसान पहुंचाना दण्डनीय अपराध है। इसके लिए लोक सम्पत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम, 1984 पारित किया गया है। यह अधिनियम जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर 28 जनवरी, 1984 को लागू किया गया है।

लोक सम्पत्ति क्या है–

लोक सम्पत्ति से अभिप्राय निम्नांकित के स्वामित्व अथवा कब्जा अथवा नियंत्रण वाली चल या अचल सम्पत्ति से है–

1. केन्द्रीय सरकार,
2. राज्य सरकार,
3. स्थानीय प्राधिकारी,
4. निगम,
5. कम्पनी एवं
6. सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य सम्पत्ति।

अपराध एवं दण्ड–

अधिनियम की धारा 3 एवं 4 में अपराध एवं दण्ड के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार निम्नांकित सम्पत्ति को रिष्टि कारित करना न्यूनतम छः माह एवं अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय अपराध है–

1. जल, प्रकाश, बिजली अथवा ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति से संबंधित कोई सम्पत्ति।
2. तेल प्रतिष्ठान।
3. मल संकर्म।
4. खान या कारखाना।
5. लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन आदि।

ऐसी सम्पत्ति को अग्नि या विस्फोटक पदार्थ आदि के द्वारा नुकसान पहुंचानरा अथवा रिष्टि कारित करना न्यूनतम एक वर्ष एवं अधिकतम दस वर्ष तक की अवधि के कारावास एवं जुर्माने से दण्डनीय अपराध है।

इस प्रकार यह अधिनियम सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकता है और उसे दण्डनीय अपराध घोषित करना है।

सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान कारित करने का कार्य अक्सर हड़ताल, बंद, जुलूस, अनशन आदि के दौरान किया जाता है।

रेलवे सम्पत्ति को क्षति कारित करना, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 151 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इसमें पुल, रेलवे इमारत, रेलवे ट्रेक, वैगन, डिब्बे आदि को क्षति कारित करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

धूम्रपान निषेध

धूम्रपान न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति बल्कि साथ वाले व्यक्तियों के लिए भी हानिकारक है।

भारतीय संसद ने धूम्रपान निषेध के संबंध में वर्ष 2003 में धूम्रपान निषेध अधिनियम पारित किया जिसकी धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना निषिद्ध है।

अधिनियम में रेस्टोरेन्ट तथा होटल में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए पृथक स्थान उपलब्ध करवाना अनिवार्य बनाया गया है।

सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करने पर दो सौ रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को सिगरेट तथा तम्बाकू उत्पाद बेचना अथवा प्रदान करना अपराध है।

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की दूरी के भीतर यह उत्पाद बेचना निषिद्ध है। इसके उल्लंघन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा पारित सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध ओर व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और विवरण का विनियमन अधिनियम 2003 एक व्यापक विधान है। भारत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध नियम बनाए गये है जो दिनांक 02.10.2008 से प्रभावी हो गये है।

इस कानून के तहत सार्वजनिक स्थान के मालिक, प्रबन्धक अथवा पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करवाना होगा कि ऐसे स्थानों पर धूम्रपान न हो। जिस स्थान पर लोगों की पहुँच होती है उसे सार्वजनिक स्थान कहा जाता है, जैसे अस्पताल, रेलवे प्रतिक्षा कक्ष, मनोरंजन स्थल, सार्वजनिक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षणिक भवन आदि। अधिनियम की धारा 25 में प्रावधान है कि अधिसूचित अधिकारी द्वारा अपराधी को हिरासत में लिया जावेगा, तब मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जावेगा। नियम 5 के अनुसार उसे जुर्माना लगाया जाने तथा उसे वसूल करने हेतु अधिकृत किया गया।

कानून की जानकारी के अभाव में

देश का हर नागरिक जो 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र का है ''व्यस्क'' कहलाता है। उसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार भी मिल जाता है। देश के कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होते है। 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ''अव्यस्क'' कहलाता है। उस पर किशोर विषयक कानून लागू होते है। कानून का पालन सबके लिए अनिवार्य है। कोई यह कह कर कानून से नहीं बच सकता कि उसे कानून का ज्ञान नहीं है। कानून की जानकारी के अभाव में, उसके क्या–क्या प्रभाव हो सकते है? जरा पढिए, सोचिए और कानून का पालन कीजिएः–

1. नियम है ''चलो सडक की बाई पटरी/जाना हो या आना हो''। मोटर साईकिल दायी पटरी चलाई। वाहन से टकराना,
   सजा, जुर्माना या सजा।
2. बिना ड्राइविंग लाइसेन्स कार चलाता पकडा गया–
   सजा–वाहन जब्त, चालान,सजा और जुर्माना भी देना पड़ा।
3. रेलगाडी में बिना टिकट यात्रा करते पाया गया–
   सजा–6 माह तक की सजा या 1000 रूपये जुर्माना या दोनों।
4. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना दिया–
   सजा– निगम ने मकान तोड़ा, अतिक्रमण हटाया, वाद कोर्ट में है।
5. न्यायालय में झूठी गवाही दी–
   सजा–सात साल तक का कारावास और जुर्माना।
6. विद्युत तारों पर आँकडे डाल कर बिजली चोरी की–
   सजा– सजा व जुर्माना दोनों।
7. धार्मिक स्थन को क्षति पहुँचाई–
   सजा–02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना
8. चोरी करते पकड़ा गया–
   सजा व जुर्माना।
9. किसी को चोट पहुँचाने के लिये घर में प्रवेश किया
   सजा–सात वर्ष का कारावास व जुर्माना

CHILDREN'S RIGHTS

खुले बोरवेल एवं कुंओं पर नहीं किया नियंत्रण, तो दुर्घटना को कर रहे हम आमंत्रण

पिछले 10 वर्षों में खुले कुंओं व बोरवेल में गिरने से 500 से ज्यादा बच्चों की एवं 2000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खुले कुओं व बोरवेल की सुरक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश की पालना आवश्यक।
- जिला कलेक्टर/सरपंच को कुंआ/बोरवेल बनाने से पहले सूचना देना अनिवार्य।
- कुंआ/बोरवेल खोदने वाली फर्म का पंजीयन आवश्यक।
- खुले कुए व बोरवेल की सुरक्षा अनिवार्य।
- कुंऐ की मुंडेर व चबुतरा बनाना आवश्यक।
- असुरक्षित/अनुपयोगी कुऐं की तत्काल भराई।

मुण्डेर वाले कुंए एवं बोरवेल के लाभ

- ❖ प्रदुषण से बचाव ❖ शुद्ध एवं स्वच्छ जल
- ❖ बच्चों या जानवरों के गिरने का कोई खतरा नहीं है।
- ❖ गहरे पानी का तापमान स्थिर रहता है इसलिए गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है।
- ❖ बोरवेल गहरे होते हैं, गर्मियों में पानी उपलब्ध होने की संभावना अधिक है।
- ❖ जल संग्रह ❖ उपयोग में आसानी

हम सभी का बस
यही हो नारा
कुंए पर मुण्डेर बनाना
लक्ष्य हो हमारा

हर कुंए पर मुण्डेर का निर्माण हो, जनता की सुरक्षा का हर संभव प्रयास हो।

बिना अनुमति बोरवेल या कुंआ खुदाने पर प्रतिबंध है और इन्हें खुला रखकर खतरनाक अवस्था में रखना कानूनन अपराध है।

जनहित में जारी:

हेल्प लाईन नं.
15100
9928900900

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
Phone : 0141-2227481, Fax : 2227602
Email: E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website
www.rlsa.gov.in

Premier# 9783855551